फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ निजी

सीमित और एक और

वी.

अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी.

(सिविल अपील सं। 498-501 2021 का)

12 फरवरी, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना, जे. जे.] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड)

विनियम, 1996-विनियम 18 (15) (सी), 39 (2) (ए)-म्यूचुअल फंड योजनाओं का समापन-यूनिटधारकों की सहमति-आयोजितः इसके लिए

विनियमन 18 (15) के खंड (ग) के उद्देश्य, इकाईधारकों की सहमति का अर्थ होगा मतदान में भाग लेने वाले अधिकांश इकाईधारकों की सहमति, न कि योजना के सभी इकाईधारकों के बहुमत की सहमति-वर्तमान मामले में,

चुनाव परिणाम खारिज कर दिए गए-छह योजनाओं के यूनिटधारकों ने दलों की सहमति से छह योजनाओं को बंद करने के लिए बहुमत से अपनी सहमति दी है। एस. बी. आई. फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को परिसमापन की कवायद शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें होल्डिंग्स/परिसंपत्तियों/पोर्टफोलियो का परिसमापन और यूनिटधारकों को वितरण/भुगतान शामिल होगा-परिसमापन और संवितरण पहले के आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा। 2 फरवरी, 2021 और 9 फरवरी, 2021 और इसमें अनुच्छेद 41-अन्य पहलू और मुद्दे जिनमें यह प्रश्न शामिल हैं कि क्या विनियमन 18 (15) (सी) तब लागू होगा जब न्यासी की राय होगी कि योजना को विनियमन 39 (2) (ए) के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए और कदाचार, कदाचार, धोखाधड़ी और उसके प्रभाव के बारे में आपत्ति करने वाले इकाइयों के तर्क की जांच नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 18 (15) (सी)-म्यूचुअल फंड योजनाएं परिसमापन-यूनिटधारकों की सहमति-आपत्ति करने वाले यूनिटधारकों की याचिका कि सहमति केवल उन लोगों के लिए बाध्यकारी होगी जिन्होंने म्यूचुअल फंड योजनाओं को समाप्त करने के लिए सहमति दी है और दूसरों पर लागू नहीं की जा सकती है-आयोजित किया गयाः खंड के संदर्भ में अस्वीकृत 'सहमति' स्पष्ट रूप से 'अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति' को संदर्भित करती है, न कि व्यक्तिगत यूनिटधारकों द्वारा दी गई सहमति को जो

केवल उनकी सहमति से बाध्य होगा, यानी, इसमें उन यूनिटधारकों को शामिल नहीं किया गया है जो सहमत नहीं हैं।

विधानों की व्याख्या-व्याख्या के सिद्धांत-आयोजित किए गएः जब दो व्याख्याओं के बीच चयन होता है, तो न्यायालय

एक 'निर्माण' से बचें जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस विचार के आधार पर 'निर्माण' को स्वीकार करना चाहिए कि मसौदा तैयार करने वाले केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 18 (15) (सी)-म्यूचुअल फंड योजनाओं का समापन-यूनिटधारकों की सहमति-आयोजितः विनियमन

18 (15) (ग) परिसमापन के लिए इकाईधारकों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सहमति लेने के लिए कोई तरीका या तरीका निर्धारित नहीं करता है इसलिए, निहितार्थ से, विनियमन एक भौतिक बैठक, डाक मतदान या ई-मतदान आयोजित करने का विकल्प देता है।

शब्द और वाक्यांश "सहमति"-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 18 (15) (सी)-आयोजितः विनियम 18 के उप-विनियम (15) में 'सहमति' का अर्थ है अधिकांश लोगों द्वारा समाप्त करने के लिए सकारात्मक सहमति।

यूनिटहोल्डर्स '-इसके विपरीत, सहमति से इनकार कर दिया जाता है जब' अधिकांश यूनिटहोल्डर्स 'योजना को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं।

परिसमापन और संवितरण का निर्देश देते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में यह न्यायालय केवल "यूनिटधारकों की समाप्ति के लिए सहमति" के सीमित पहलू पर निर्णय ले रहा है [यह मानते हुए कि विनियमन 18 (15) (सी) लागू होगा, यहां तक कि जहां न्यासियों की राय है कि एक योजना को समाप्त करना चाहिए।

विनियमन 39 (2) (सी)] के तहत समाप्त किया जाएगा, और धन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए छह योजनाओं को समाप्त करने का निर्देश देने के लिए राजी किया जाएगा।

परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों का परिसमापन। [पैरा 4] [583-बी-सी]

1.2 कुछ विरोधियों द्वारा उठाया गया तर्क

इस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है कि सहमति केवल उन लोगों के लिए बाध्यकारी होगी जिन्होंने म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के लिए सहमति दी है और दूसरों पर लागू नहीं किया जा सकता है। खंड के संदर्भ में 'सहमति' शब्द स्पष्ट रूप से 'अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति' को संदर्भित करता है, और

व्यक्तिगत यूनिटधारकों द्वारा दी गई सहमति को नहीं, जो अकेले उनकी सहमति से बाध्य होंगे, यानी इसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्ट सेवाएँ निजी सीमित V शामिल नहीं हैं।

अमृता गर्ग

यूनिटहोल्डर जो सहमत नहीं हैं। दूसरे या विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करना, जैसा कि कुछ आपत्ति करने वाले इकाइयों द्वारा अनुरोध किया गया है, उप विनियमन (15) विनियमन 18 के खंड (सी) के उद्देश्य और उद्देश्य को नकारना होगा। वास्तव में, प्रस्तुतिकरण, यदि स्वीकार किया जाता है, तो म्यूचुअल फंड योजनाओं और समापन प्रावधान बन जाएंगे।

म्यूचुअल फंड विनियमों में व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यूनिटधारकों के दो अलग-अलग वर्ग होंगे-एक सहमति से बाध्य, और अन्य जो सहमति से बाध्य नहीं हैं। नतीजतन, यह योजना बंद नहीं होगी। प्रावधान के पीछे का इरादा उन लोगों को भी बांधना है जो सहमति नहीं देते हैं। विनियम 18 के उप-विनियम (15) में 'सहमति' शब्द/अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अधिकांश लोगों द्वारा' समाप्त करने के लिए सकारात्मक सहमति। यूनिटहोल्डर्स '। इसके विपरीत, सहमति से इनकार कर दिया जाता है जब 'अधिकांश यूनिटधारक' योजना को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं। [पैरा 8,9] [585-ई-एच; 586-एफ-जी]

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10 वां संस्करण), बैठकों के कानून और अभ्यास पर शेकलटन, 14 वां संस्करण। - संदर्भित किया गया।

1.3 जब दो व्याख्याओं के बीच विकल्प होता है, तो

न्यायालय एक ऐसे 'निर्माण' से बचेगा जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस विचार के आधार पर 'निर्माण' को स्वीकार करना चाहिए कि मसौदा तैयार करने वाले केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएंगे। अदालत को करना चाहिए जहाँ तक संभव हो कानून या शासन को सार्थक जीवन देने का प्रयास करें और शव संबंधी परिणामों से बचें। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना

म्यूचुअल फंड विनियमों के विनियम 18 (15) (सी) में यूनिटधारकों के बहुमत के रूप में गणपूर्ति या 'सहमति' के रूप में 'सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' का अर्थ न केवल बेतुका होगा

बन्द व्यायाम। यूनिटधारकों के मामले में, संख्या है उतार-चढ़ाव और हमेशा बदलते रहते हैं और इसलिए, अनिश्चित। खरीद [2021] 14 एस. सी. आर. के साथ यूनिटधारकों की संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है और बदल सकती है।

या मुक्ति। अतः, के खंड (ग) के संदर्भ में

विनियम 18 (15), यह न्यायालय, किसी स्पष्ट शर्त के अभाव में, न्यूनतम कोरम निर्धारित नहीं करेगा और सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति के रूप में 'यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' की आवश्यकता को नहीं पढ़ेगा। दूसरी ओर, इसका मतलब होगा कि अधिकांश यूनिटधारक जो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और समर्थन में मतदान करते हैं या म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। जिन यूनिटधारकों ने अपनी पसंद/विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें नकारात्मक या सकारात्मक मतों के रूप में नहीं गिना जा सकता है क्योंकि वे बंद करने के प्रस्ताव को अस्वीकार या सहमति दे रहे हैं।

विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा के साथ, एक 'निर्माण' जो वाणिज्यिक अराजकता और गतिरोध का कारण बनता है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अनुपस्थित यूनिटधारकों की ओर से मौन को न तो प्रस्ताव की स्वीकृति और न ही अस्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है। विनियमन 18 (15) (सी), जमीनी वास्तविकता में लागू होने पर, उस कानून और उद्देश्य/उद्देश्य को विफल करने के तरीके से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। विनियमन 18 (15) (सी) के पीछे अंतर्निहित जोर इकाईधारकों को योजना को समाप्त करने के कारण और कारण के बारे में सूचित करना और उन्हें अपनी सहमति देने या प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अवसर देना है। यह निराश करने और समापन को असंभव बनाने के लिए नहीं है। [पारस

14-18] [589 - ई-जी; 590-ए-सी; 591-सी, जी-एच; 592-ए-बी]

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह, 14 वां संस्करण, 50 पर; बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी

व्याख्या, 5 वाँ संस्करण; हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम

1 पहला संस्करण; क़ानून और सांविधिक में सदरलैंड

निर्माण, खंड 2, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण। 523 ,

नोट 5109 में-संदर्भित।

1.4 न्यायालय विनियमन 18 (15) (सी) में सभी या पूरे पूल के बहुमत की सकारात्मक सहमति की आवश्यकता को नहीं पढ़ेगा।

इकाइयों के। 'सभी' या 'संपूर्ण' शब्द सम्मिलित नहीं हैं। और उक्त विनियम में पाया गया। इस प्रकार, विनियम 18 के उप-विनियम (15) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए यूनिटधारकों की सहमति का अर्थ होगा उपस्थित यूनिटधारकों का साधारण बहुमत और

मतदान करें। विनियम 18 (15) (सी) आदेश देता है और समापन के लिए यूनिटधारकों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सहमति लेने के लिए कोई तरीका या तरीका निर्धारित नहीं करता है।

इसलिए, निहितार्थ से, फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन ट्रस्टीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड V. अमृता गर्ग

आयोजित इकाइयों के बीच, या चुनाव/विवाद की संभावना, चुनाव वरीयता का पता लगाने के लिए पसंदीदा तरीका है। यूनिटहोल्डर्स। मतदान का मूल्य इस तथ्य में निहित है कि इकाइयों की संख्या के आधार पर मतदान की भारित संख्या अधिक सटीक और सटीक परिणाम देती है। निवेशकों/यूनिटधारकों की बहुमत सहमति उनके द्वारा रखी गई इकाइयों की संख्या पर निर्भर होनी चाहिए। चुनाव चुनाव के समान होते हैं। चुनाव परिणाम जैसे चुनाव परिणामों में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक, जब यह किसी तीसरे पक्ष की गलती हो न कि प्रस्तावक/सफल उम्मीदवार की। चुनाव परिणाम जैसे चुनाव परिणामों को नियमों के उल्लंघन या गलती से दूषित नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि उल्लंघन या गलती साबित नहीं हो जाती है, यह चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करता है। यह सामान्य सिद्धांत केवल तभी विचलित हो सकता है जब चुनाव/चुनाव इतने बुरी तरह से आयोजित किए जाते हैं कि यह काफी हद तक अनुरूप नहीं होता है।

चुनाव के बारे में कानून के साथ, इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम प्रभावित हुआ था या नहीं। जब मतदान या मतदान व्यावसायिक प्रकृति के मुद्दों या विकल्पों पर होता है, तो आम तौर पर अदालत के लिए यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है कि वह मतदान करने वाले यूनिटधारकों की योग्यता या विवेक की जांच करके खामियों को दूर करे। न्यायालय सुसज्जित नहीं है और उसे आंतरिक प्रबंधन, संस्थागत संप्रभुता और चयन करने और निर्णय लेने के अधिकार के सिद्धांत जैसे निरीक्षणों में प्रवेश करने से बचना चाहिए। द.

यूनिटहोल्डर सबसे अच्छे न्यायाधीश होते हैं और अपने हितों से अधिक परिचित होते हैं। यह सब देखा जाना चाहिए कि के व्यापक मापदंड

प्रशासन में निष्पक्षता, प्रामाणिक मतदान/चुनाव और सार्वजनिक व्यवसाय के उचित प्रबंधन के बुनियादी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। [पैरा 19,28] [592-एफ; 595-एफ-एच; 596-ए एफ] [2021] 14 एस. सी. आर.

1.5 यूनिटधारकों को मतदान करने का मौका और विकल्प दिया गया था और लगभग 38 प्रतिशत यूनिटधारकों ने संख्यात्मक संदर्भ में और 54 प्रतिशत ने मूल्य के संदर्भ में समापन के प्रस्ताव को सहमति देने या अस्वीकार करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। न्यूनतम गणपूर्ति की अनुपस्थिति या आवश्यकता में, जो विनियमों में प्रदान या निर्धारित नहीं है और न ही कानून के तहत अनिवार्य है, ई-मतदान परिणाम को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संख्यात्मक रूप से 38 प्रतिशत यूनिटधारकों और मूल्य के रूप में 54 प्रतिशत ने भाग लिया था, भले ही अस्वीकार किए गए मतों का लेखा-जोखा न हो। यह प्रस्ताव के लिए सहमति देने वाले सकारात्मक परिणाम को अस्वीकार करने और अनदेखा करने का आधार नहीं हो सकता है।

छह म्यूचुअल फंड योजनाओं का समापन। [पैरा 31] [597-ई-एफ]

2. केफिन टेक्नोलॉजीज मंत्रालय के समय से ही सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों को ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान कर रही है।

निगमित मामलों के विभाग ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया। द.

केफिन टेक्नोलॉजीज का ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित है। एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएँ। 2013 से केफिन टेक्नोलॉजीज ने 4,500 से अधिक ई-वोटिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस विशिष्ट प्रस्तुति पर मतदान के परिणामों को अस्वीकार करने से कई प्रतिष्ठित कंपनियों के ई-मतदान परिणामों पर गंभीर प्रभाव पड़ने के साथ संदेह पैदा होंगे। विरोध करने वाले एक भी उदाहरण की ओर इशारा करने में असमर्थ हैं जहां केफिन टेक्नोलॉजीज को दोषी ठहराया गया है। वर्तमान मामले में, ई-वोटिंग अभ्यास की निगरानी सहायक निदेशक, सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद सहित तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा भी की गई थी। न्यायालय सी. एफ. एस. एल. के फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के संदर्भ में न्यासियों/ए. एम. सी. और केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट है। [पारस 33,35] [598-बी-डी; 602-सी]

3. ई-वोटिंग और यूनिटधारकों की बैठक के लिए सूचना को पूरी तरह से पढ़ना होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में,

ई-वोटिंग के लिए सूचना और सामग्री छह योजनाओं को समाप्त करने के लिए यूनिटधारकों द्वारा दी गई सहमति को रद्द करने को उचित नहीं ठहराएगी। [पैरा 37] [603-बी]

4. वर्तमान मामले में, विनियमन 41 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यासी फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड v.

अमृता गर्ग

स्वयं ने कहा है कि समापन की प्रक्रिया, जो

प्रतिभूतियों का परिसमापन और वितरण शामिल होगा।

यूनिटधारकों को भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। विरोध करने वालों ने भी इसी तरह की दलीलें दी थीं। तदनुसार, पक्षों की सहमति से, एम/एस। एस. बी. आई. फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने की कवायद के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें होल्डिंग्स/परिसंपत्तियों/पोर्टफोलियो का परिसमापन शामिल होगा।

और यूनिटधारकों को वितरण/भुगतान। [पैरा 40] [609-बी-सी]

5. विनियम 18 (15) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, इकाईधारकों की सहमति का अर्थ होगा -

उन यूनिटधारकों ने जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है, और योजना के सभी यूनिटधारकों के बहुमत की सहमति नहीं है। बताए गए निष्कर्षों और कारणों को देखते हुए, चुनाव परिणामों पर आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि छह योजनाओं के यूनिटधारकों ने छह योजनाओं को लागू करने के लिए बहुमत से अपनी सहमति दी है। समापन और संवितरण 2 फरवरी, 2021 और 9 फरवरी, 2021 के पहले के आदेशों और पैराग्राफ 41 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा। हालांकि, यह आदेश अन्य पहलुओं और मुद्दों की जांच और निर्णय नहीं करता है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या विनियमन 18 (15) (सी) तब लागू होगा जब न्यासी की राय होगी कि योजना को उसके अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए।

विनियमन 39 (2) (ए) और कदाचार, कदाचार, धोखाधड़ी और उसके प्रभाव के बारे में आपत्ति करने वाले इकाइयों के तर्क के साथ। [पैरा 42] [610-सी-ई]

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य v. महेंद्र गुप्ता और अन्य, (2018) 3 एस. सी. सी. 635 [2018] 1 एस. सी. आर. 443; श्री ईश्वर चंद्र बनाम। श्री सत्यनारायणा

सिन्हा और अन्य (1972) 3 एस. सी. सी. 383: [1972] 3 एससीआर 796; उर्वरक निगम। कामगर यूनियन (विनियमित) बनाम। भारत संघ (1981) 1 एससीसी 568: [1981] 2 एससीआर 52; सैयद हसन रजा साहिब शमसुल उलेमा और दो अन्य बनाम। मीर हसन अली साहिब और दो अन्य ए. आई. आर. 1918 मैड

1131 - संदर्भित किया गया।

मॉर्गन बनाम। सिम्पसन [1975] क्यू. बी. 151-संदर्भित।

[202

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 443

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1972] 3 एससीआर 796

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1981] 2 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 498

501 2021 से।

उच्च न्यायालय के 24.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कर्नाटक के बैंगलोर में डब्ल्यू. पी. संख्या। 8644 , 8748 , 8545 2020 की और 2020 की डब्ल्यू. ए. संख्या 399।

के साथ

सी. ए. सं. 502 , 503 , 508 , 504-507 , 509 2021 का तुषार मेहता, एस. जी. हरीश साल्वे, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी,

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, रवींद्र श्रीवास्तव, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशीष भान, मोहित रोहतगी, जसमीत सिंह, असीम सूद, राजेंद्र डंगवाल, सुश्री माधवी खन्ना, सैफ अली, निथ्याश नटराज, वैभव आर. वेंकटेश, गोपाल सिंह, अर्जुन गर्ग, अभिनव श्रीवास्तव, करण कोहली, पुनीत जैन, हर्षित खांडुजा, हर्ष जैन, अक्षत माहेश्वरी,

मेसर्स के लिए हर्षवर्धन शर्मा, नीरज शर्मा, सुश्री क्रिस्टी जैन, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन। के. जे. जॉन एंड कंपनी, शिवम सिंह, साहिल रवीन, जयदीप खन्ना, मनीष कुमार, रजत नायर, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री प्रियंका दास, अरविंद कुमार शर्मा, अनिरुद्ध श्रीराम, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, धीरज नायर, कुमार किस्ले, अंगद बख्शी, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री आरती जैन, सुश्री श्रीजा चौधरी, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, V.M.Kannan, संबित पांजा, अर्जुन भाटिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आदेश

संजीव खन्ना, जे।

1. छुट्टी उपरोक्त शीर्षक विशेष छुट्टी याचिकाओं में दी गई है।

जो कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा 24 अक्टूबर, 2020 को दिए गए निर्णय से निकलता है, जिसमें तीन रिट याचिकाओं और एक रिट अपील पर निर्णय लिया गया था, जिसमें मूल रूप से फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड की छह योजनाओं को समाप्त करने के साथ-साथ समाप्त करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, अर्थात्:

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

(i) फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड (अलग-अलग कोषों की संख्या)

पोर्टफोलियो-2),

(ii) फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड (अलग-अलग की संख्या)

पोर्टफोलियो-1),

(iii) फ्रैंकलिन इंडिया अल्पकालिक आय योजना (कुल आय की संख्या)

पृथक पोर्टफोलियो-3),

(iv) फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड (अलग-अलग की संख्या)

पोर्टफोलियो-3),

(v) फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रुअल फंड (अलग-अलग कोषों की संख्या)

पोर्टफोलियो-3), और

(vi) फ्रैंकलिन इंडिया आय अवसर कोष (की संख्या)

पृथक पोर्टफोलियो-2)।

2. चुनौती के तहत निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतियों की व्याख्या करता है

भारतीय बोर्ड ('एस. ई. बी. आई.') उस खंड (सी) को उप-विनियम (15) के लिए अभिनिर्धारित करेगा विनियमन 18 1 म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के लिए यूनिटधारकों की सहमति को अनिवार्य करता है, भले ही न्यासियों की राय हो कि

योजना को म्यूचुअल फंड विनियमों के विनियम 39 2 के खंड (ए) से उप-विनियम (2) के संदर्भ में समाप्त किया जाना आवश्यक है। इस हद तक,

1 नियम 18: न्यासियों के अधिकार और दायित्व

XX

XX

XX

(15) न्यासी इकाईधारकों की सहमति प्राप्त करेंगे-(ए) जब भी इकाईधारकों के हित में बोर्ड द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है; या (बी) जब भी किसी योजना के तीन-चौथाई इकाई धारकों द्वारा की गई

मांग पर ऐसा करने की आवश्यकता होती है; या (ग) जब अधिकांश न्यासी इकाइयों को बंद करने या समय से पहले भुनाने का निर्णय लेते हैं।

2 विनियम 39: समापन (1) एक समापन योजना को इकाइयों के मोचन पर योजना में निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समाप्त कर दिया जाएगा, जब तक कि इसे उप-प्रावधान के तहत आगे की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाता है।

विनियम 33 का विनियम (4)। (2) म्यूचुअल फंड की एक योजना को इकाई धारकों को देय राशि का भुगतान करने के बाद समाप्त किया जा सकता है।

(ई) यदि किसी योजना के इकाई धारकों में से पचहत्तर प्रतिशत एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि योजना को समाप्त कर दिया जाए; या
(च) यदि बोर्ड इकाईधारकों के हित में ऐसा निर्देश देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चुनौती के तहत निर्णय काफी हद तक यूनिटधारकों के साथ सहमत है, हालांकि SEBI ने इस अदालत के समक्ष अपनी अपील में इस व्याख्या का विरोध किया है

गलत है। दूसरे शब्दों में, एस. ई. बी. आई. का प्रस्ताव है कि विनियमन 39 के उप विनियमन (2) का खंड (ए) एक स्वतंत्र प्रावधान है और जब किसी घटना के होने पर न्यासियों की राय बनती है कि म्यूचुअल फंड योजना को समाप्त किया जाना है तो यूनिटधारकों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

और फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('न्यासी' या 'न्यासी मंडल'); भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI अधिनियम') का उल्लंघन; म्यूचुअल फंड विनियम; SEBI सामंजस्य मानदंड; निवेश क्षितिज रूपरेखा; शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एन. ए. वी.) में हेरफेर; गलत भुगतानों का विघटन आदि। में।

आपत्ति करने वाले यूनिटधारकों का कहना है कि न्यासियों और ए. एम. सी. की ओर से धोखाधड़ी का पता चलने पर वे क्षतिपूर्ति आदि के हकदार होंगे। उठाए गए अन्य मुद्दों में फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में विशेषाधिकार का सवाल शामिल है। 4. जबकि आपत्ति करने वाले इकाइयों का कहना है कि छह योजनाओं को बंद करने का न्यासियों का निर्णय धोखाधड़ी को छिपाने के लिए एक धुआंधार पर्दा है

न्यासियों/ए. एम. सी. के दायित्व के प्रश्न के साथ-साथ जो मुद्दे सामने आते हैं, उन पर पहले या एक साथ निर्णय लिया जाना चाहिए; हमने जानबूझकर इन मुद्दों को अलग करने और बाद में उनकी जांच करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, एस. ई. बी. आई. ने कारण बताएँ नोटिस जारी किया है जो निर्णय के लिए लंबित है। आम लोग आपसी निवेश करते हैं (3) जहां किसी योजना को उप-विनियम (2) के तहत समाप्त किया जाना है, वहां न्यासी उन परिस्थितियों का खुलासा करते हुए सूचना देंगे जिनसे योजना को समाप्त किया जा सकता हैः

(छ) बोर्ड को; और
(ज) पूरे भारत में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, एक स्थानीय भाषा का समाचार पत्र उस स्थान पर प्रसारित होता है जहां म्यूचुअल फंड का गठन किया जाता है।

3 'आपत्ति करने वाले यूनिटधारक' शब्द सभी यूनिटधारकों को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि केवल 15 यूनिटधारकों को संदर्भित करता है, अर्थात् सुश्री अमृता गर्ग, श्री अरीज़ खंबाटा, श्री पर्सिस खंबाटा, खंबाटा।

फैमिली ट्रस्ट, सुश्री संयम जैन, मेसर्स। केएजे एसोसिएट्स, सुश्री सारिका मित्तल, मेसर्स। अल्ट्रा वॉल एंड फ्लोर, सुश्री आकंशा माहेश्वरी, सुश्री प्रिया मेंघनानी, सुश्री वर्णिका

मेंघनानी, श्री श्रीराम गंटासाला, श्री रत्नजीत भट्टाचार्जी, सुश्री आरती जैन और सुश्री किरण रामा, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं और इस अदालत के समक्ष उपस्थित हैं और इनमें चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एकाउंटेबिलिटी भी शामिल होगी, जो एक ऐसा संगठन है जो एक इकाईधारक नहीं है।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

5. हमने न्यासियों की दलीलों पर भी ध्यान दिया है कि - (i) 15 जनवरी, 2021 को छह योजनाओं में से पांच योजनाओं का एन. ए. वी. 23 अप्रैल, 2020 को उनके संबंधित एन. ए. वी. की तुलना में अधिक था और एक योजना में यह मामूली रूप से कम था; (ii) छह योजनाओं में से पांच नकद सकारात्मक हो गई हैं; (iii) 9,122 करोड़ रुपये की संचित वितरण योग्य नकद आय (15 जनवरी, 2021 तक) और (केवल सामान्य पाठ्यक्रम में खर्चों के प्रावधान के अधीन) यूनिटधारकों को वितरण के लिए तुरंत उपलब्ध है; और (iv) छह योजनाओं की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ('ए. यू. एम.') 23 अप्रैल, 2020 को 648 करोड़ रुपये से बढ़कर 343 करोड़ रुपये हो गई हैं। 15 जनवरी, 2021 तक रु. अंत में और महत्वपूर्ण रूप से, 2 फरवरी, 2021 को सुनवाई के दौरान, आपत्ति करने वाले यूनिटधारकों के वकीलों ने यूनिटधारकों के बीच 9,122 करोड़ रुपये के वितरण पर सहमति व्यक्त की है, जो कि, यह निर्देश दिया गया है कि योजना की परिसंपत्तियों में यूनिटधारकों के संबंधित हित के अनुपात में होगा, जैसा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा सुझाव दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यूनिटधारकों को यह वितरण तभी संभव है जब हम स्वीकार करते हैं कि छह योजनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

4 नियम 40: उपखंड (बी) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद से समापन का प्रभाव

विनियमन 39 के विनियम (3) के अनुसार, न्यासी या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, जैसा भी मामला हो,

(क) इस प्रकार समाप्त की गई योजना के संबंध में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करना बंद कर दें; (ख) योजना में इकाइयों का निर्माण या रद्द करना बंद कर दें;

(ग) योजना में इकाइयों को जारी करना या उन्हें भुनाना बंद कर दें। 5 न्यासियों का कहना है कि पोर्टफोलियो प्रतिभूतियों के एन. ए. वी. मूल्यांकन की गणना एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा एस. ई. बी. आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है और इसकी दैनिक सूचना दी जा रही है।

6. यूनिटधारकों से प्रवेश/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विज्ञापन करने से पहले, हम म्यूचुअल फंड के विनियमन 18 के उप-विनियमन (15) को लागू करना उचित समझते हैं।

लैशन, जो नीचे लिखे अनुसार हैः

" नियम 18: न्यासियों के अधिकार और दायित्व

XX XX XX

(15) न्यासी इकाईधारकों की सहमति प्राप्त करेंगे - क) जब भी बोर्ड द्वारा यूनिटधारकों के हित में ऐसा करने की आवश्यकता होती है; या

ख) द्वारा की गई मांग पर जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होती है

किसी भी योजना के इकाई-धारकों के तीन-चौथाई; या ग) जब अधिकांश न्यासी समाप्त करने का निर्णय लेते हैं या

समय से पहले इकाइयों को छुड़ाएँ "।

7. विनियमन 18 के निष्कर्षण (15) के खंड (सी) के संदर्भ में 'सहमति' शब्द की व्याख्या करते हुए, चुनौती के तहत निर्णय में कहा गया हैः

" 221. जाहिर है, किसी योजना को बंद करने के प्रस्ताव के लिए इकाई-धारकों की 'सहमति' केवल तभी हो सकती है जब अधिकांश इकाई-धारक ऐसा करने के लिए सहमति देते हैं। विनियमन 18 के खंड (15) का उपखंड (सी) बहुमत की प्रकृति पर चुप है। जाहिर है, यह तीन-चौथाई बहुमत की तरह एक विशिष्ट बहुमत नहीं है। जहाँ कहीं भी तीन चौथाई इकाई-धारकों का इरादा था, म्यूचुअल फंड विनियम ऐसा कहते हैं। उदाहरण के लिए, विनियमन 18 के खंड (15) का उपखंड (बी) और विनियमन 39 के खंड (2) का उपखंड (बी)। इसलिए, यह एक साधारण बहुमत होना चाहिए। इसके लिए हम

एक पूर्ण पीठ के निर्णय का संदर्भ देना चाहिए

वाहिद उल्ला के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय खान बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल। पैराग्राफ 32 में,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 32. "बहुमत" शब्द कुल संख्या में से अधिक संख्या की बात करता है जो एक निश्चित संख्या नहीं हो सकती है। वास्तव में, बहुमत का प्रारंभिक बिंदु आधे से अधिक है, लेकिन आधे से अधिक कोई भी संख्या अभी भी बहुमत बनी हुई है। बहुमत को केवल आधे से अधिक तक सीमित नहीं कहा जा सकता है। कुल संख्या के तीन चौथाई का बहुमत, कुल संख्या का दो-तिहाई, सभी 'बहुमत' शब्द के दायरे में आते हैं।

एक व्यक्ति फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ निजी सीमित है।

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे.]

कहा जाता है कि उन्होंने पचास हजार मतों या तीस हजार मतों के बहुमत से जीत हासिल की है। सभी बहुमत के विस्तार के बारे में बात करते हैं। बहुमत एक संख्या से शुरू हो सकता है जो आधे से अधिक है और एक संख्या को छोड़कर संख्या के संतुलन तक जारी रहेगा। मतों के मामले में यदि कोई प्रस्ताव सभी के पक्ष या विपक्ष में लाया जाता है तो उसे सर्वसम्मत कहा जाता है। बहुसंख्यक का उपयोग अल्पसंख्यक के विपरीत किया जाता है। इस प्रकार, एक अल्पसंख्यक वोट का अस्तित्व होना चाहिए। इसलिए, जहां भी एक वोट प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाला जाता है, वहां भी डाले गए कुल मतों का संतुलन होता है। सभी बहुमत के मतों की संख्या होगी। "

222. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बहुमत शब्द का जो अर्थ दिया गया है, वह सबसे सही अर्थ प्रतीत होता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कहा गया है कि बहुमत का अर्थ एक ऐसी संख्या है जो कुल संख्या के आधे से अधिक है। इसलिए, विनियमन 18 के खंड (15) के उपखंड (सी) द्वारा विचार के अनुसार सहमति किसी विशेष योजना के इकाई-धारकों के साधारण बहुमत द्वारा होनी चाहिए जो घायल होने का फैसला किया जाता है। "

यद्यपि हम उपरोक्त टिप्पणियों से आंशिक रूप से सहमत हैं, हम अभिव्यक्ति 'की सहमति' को दिए गए अर्थ को जोड़ना चाहेंगे। विनियम 18 के उप-विनियम (15) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए इकाईधारक।

8. हालांकि, हम कुछ आपत्ति करने वाले इकाइयों द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज करते हुए शुरू करते हैं कि सहमति केवल उन लोगों पर ही बाध्यकारी होगी जो जिन्होंने म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के लिए सहमति दी है और

म्यूचुअल फंड विनियमों में प्रावधान अप्रभावी हैं क्योंकि यूनिटधारकों के दो अलग-अलग वर्ग हों- एक सहमति से बाध्य, और अन्य जो सहमति से बाध्य नहीं हैं। नतीजतन, यह योजना बंद नहीं होगी। प्रावधान के पीछे का इरादा उन लोगों को भी बांधना है जो ऐसा करते हैं

सहमति नहीं।

9. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10 वां संस्करण) 'सहमति' शब्द को इस रूप में परिभाषित करता है कि 'जो कुछ भी दूसरा प्रस्ताव करता है या जो कुछ भी करता है उसके प्रति स्वैच्छिक समर्पण'।

इच्छाएँ; किसी कार्य या उद्देश्य के संबंध में समझौता, अनुमोदन या अनुमति, विशेष रूप से। एक सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिया गया; कानूनी रूप से प्रभावी सहमति। शब्दकोश 'सामान्य सहमति' को बिना किसी आपत्ति के गोद लेने के लिए भी परिभाषित करता है, भले ही प्रत्येक मतदाता हो।

सकारात्मक रूप से अनुमोदन करता है "। कानून और व्यवहार पर शेकलटन बैठकें, 14 वीं संस्करण। , बहुमत और बहुमत के बाध्यकारी प्रभाव को परिभाषित करते हुए, राय दी हैः

परिभाषा

7-30 . बहुमत एक ऐसा शब्द है जो अधिक संख्या को दर्शाता है। विधायी और विचारशील विधानसभाओं में, प्रश्नों का निर्णय एक उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। इसे कभी-कभी "सरल" बहुमत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि एक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है

केवल यह तथ्य कि खिलाफ की तुलना में अधिक वोट डाले जाते हैं, जो एक "विशेष" बहुमत से अलग है जहां बहुमत का आकार महत्वपूर्ण है।

यह सिद्धांत लंबे समय से स्थापित किया गया है कि किसी निगम या निकाय की इच्छा केवल उसके सदस्यों के पूरे या बहुमत द्वारा व्यक्त की जा सकती है, और बहुमत के कार्य को निगम का कार्य माना जाता है।

पूरा।

बहुमत का वोट अल्पसंख्यकों को बांधता है।

7-31 . जब तक कि इसके विपरीत कुछ प्रावधान न हो

जिस साधन से निगम का गठन किया जाता है, किसी भी प्रश्न पर बहुमत का संकल्प, बहुमत और निगम के लिए बाध्यकारी है, लेकिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

विनियम 18 के उप-विनियम (15) में 'सहमति' शब्द/अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अधिकांश लोगों द्वारा' समाप्त करने के लिए सकारात्मक सहमति।

यूनिटहोल्डर्स '। इसके विपरीत, सहमति से इनकार कर दिया जाता है जब 'अधिकांश यूनिटधारक' योजना को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं।

10. हालांकि, जिस सवाल का जवाब अभी भी दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या 'सहमति' का मतलब व्यायाम करने वाले अधिकांश यूनिटधारकों से होगा।

चुनाव में उनका अधिकार, या योजना के सभी यूनिटधारकों का बहुमत। सवाल से जुड़ा कोरम का सवाल है, जिसका अर्थ है

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य v देखें। महेंद्र गुप्ता और अन्य, (2018) 3 एस. सी. सी. 635।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

कानूनी रूप से व्यवसाय करने के लिए सदस्यों के पूरे निकाय के सदस्यों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है। 11. उपरोक्त उद्धरण में शेकलटन ने सरल और विशेष बहुमत के बीच के अंतर का उल्लेख किया है। हमारी चर्चा के लिए अधिक उपयुक्त विलियम पॉल व्हाइट की थीसिस हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ द कोरम एज़ ए डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर 1967 में प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है:

" अधिकांश विवाद जो ऐतिहासिक रूप से जुड़े रहे हैं

कोरम के साथ केवल यह निर्धारित करने की समस्या का पता लगाया जा सकता है कि कोरम का क्या अर्थ है। बहुत शुरुआती समय से इसे एक सामान्य नियम के रूप में मान्यता दी गई है कि पूरे समूह के लिए कार्य करने के लिए एक समूह का बहुमत आवश्यक है। सार्वजनिक निकाय के मामले में, निकाय की स्थापना करने वाली शक्ति या प्राधिकरण यह भी निर्धारित कर सकता है कि कोरम क्या है। स्टर्गिस का कहना है कि आम

संसदीय कानून कोरम को "बहुमत" के रूप में निर्धारित करता है। सदस्यों "। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रतिनिधि सभा में सदस्यों के बहुमत पर कोरम की आवश्यकता निर्धारित करता है। लेकिन यह कहने के लिए कि कोरम का बहुमत है

सदस्यता संभावित संघर्ष का मार्ग खोलती है; जो ठीक है

कई मौकों पर क्या हुआ है "।

कोरम शब्द की विभिन्न परिभाषाओं की जांच करने के बाद, लेखक का मानना है कि परिभाषाएँ अपने आप में यह निर्धारित करने की कोई कुंजी नहीं देती हैं कि न्यूनतम संख्या क्या है या बहुमत क्या है। 'बहुमत' अभिव्यक्ति का अर्थ हो सकता है-(i) कुल सदस्यता सूची का बहुमत; (ii) अपराधी सदस्यों को बाहर करना या शामिल करना; (iii) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य; या (iv) उपस्थित, मतदान करने वाले और मतदान नहीं करने वाले। उन्होंने देखा कि विभिन्न अर्थों ने अवधारणा के आसपास भ्रम को बढ़ा दिया है

कोरम। 1967 में स्थिति का उल्लेख करते हुए, लेखक ने कहा:

“ जैसा कि हम आधुनिक युग में उभरे हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अब तक विधि, जिस पर कानूनी रूप से सहमति हो चुकी है

न्यूनतम और बहुमत निर्धारित करने के लिए अदालतें अच्छी तरह से स्थापित हैं।

12. विनियमन 18 के उप-विनियमन (15) का खंड (सी) अपने आप में किसी भी कोरम को निर्धारित नहीं करता है या बहुमत की गणना के लिए मानदंड निर्दिष्ट नहीं करता है। या परिसमापन के लिए वैध सहमति के लिए आवश्यक यूनिटधारकों का अनुपात। खंड

(दूसरी ओर, विनियम 39 (2) के ख) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी योजना के 75 प्रतिशत यूनिटधारक एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि -

योजना को समाप्त किया जाए। इसी तरह, विनियमन 41 (1) में न्यासियों [2021] 14 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को योजना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करने के लिए एक प्रस्ताव को, उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत द्वारा, अनुमोदित करने के लिए एक बैठक बुलाना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी की शेयर पूंजी को शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, वहां किसी भी वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकारों को उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के कम से कम तीन-चौथाई शेयरधारकों की लिखित सहमति से बदला जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की उप-धारा (3) लाभांश चुकाने या भुगतान करने में विफलता के मामले में वरीयता शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई के धारकों की सहमति को संदर्भित करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 शेयरधारक बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम निर्धारित करती है।

13. श्री ईश्वर चंद्र बनाम। श्री सत्यनारायण सिन्हा और अन्य, कोरम के सवाल पर इस अदालत ने फैसला सुनाया हैः

" यदि किसी न किसी कारण से उनमें से एक उपस्थित नहीं हो सका, तो यह दूसरों की बैठक को अवैध नहीं बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में, जहां कोई नियम या विनियमन या कोई अन्य प्रावधान नहीं है कोरम तय करने के लिए, सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति इसे एक वैध बैठक और वहां विचार किए जाने वाले मामलों का गठन करेगी।

इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय इस विषय पर प्रदर्शनी पर भी निर्भर था

इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानूनों में कोरम, तीसरा संस्करण (खंड। IX, पृष्ठ 48, पैरा 95), जिसमें लिखा हैः

" 95. कोरम की उपस्थिति आवश्यक है। एक व्यापारिक निगम के अलावा एक निगम के कार्य, निगमों के प्रमुख हिस्से के होते हैं, जिन्हें निगमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विशेष प्रथा या संविधान के विशेष प्रावधान के अभाव में, प्रमुख भाग को बैठक में उपस्थित होना चाहिए, और उस प्रमुख भाग में अधिनियम या प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होना चाहिए। विचार किया। जहां, इसलिए, एक निगम में तेरह सदस्य होते हैं, एक वैध बैठक बनाने के लिए कम से कम सात उपस्थित होने चाहिए, और इन सात या उससे अधिक संख्या के बहुमत का कार्य निगम को बाध्य करेगा। यह विचार करते हुए कि क्या अपेक्षित संख्या मौजूद है, केवल उन सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो बैठक से पहले विशेष व्यवसाय में भाग लेने के लिए सक्षम हैं। हालांकि, एक निगमित कार्य करने की शक्ति विशेष रूप से सदस्यों की एक विशेष संख्या को सौंपी जा सकती है, जिसमें

7 (1972) 3 एस. सी. सी. 383 फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ निजी सीमा

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

किसी अन्य प्रावधान के अभाव में, प्रक्रिया की विधि बड़े पैमाने पर शरीर पर लागू होने वाले चयन निकाय पर लागू किया जाएगा।

यदि कोई निगमित कार्य एक निश्चित निकाय द्वारा किया जाना है, या

एक अनिश्चित निकाय के साथ निश्चित निकाय द्वारा, अधिकांश

निश्चित शरीर मौजूद होना चाहिए।

जहाँ एक निगम कई चुनिंदा निकायों से बना होता है,

सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक चयनित निकाय का बहुमत होना चाहिए

एक कॉर्पोरेट बैठक में उपस्थित; लेकिन इस नियम में लागू नहीं किया जाएगा

संविधान में स्पष्ट निर्देश का अभाव, यदि यह लागू होता है

एक बेतुकी या असंभवता की ओर ले जाएगा। ..... "

(जोर दिया गया)

14. व्याख्या के संदर्भ में 'बेतुकी' की अवधारणा

क़ानूनों का अर्थ किसी भी परिणाम को शामिल करना है जो अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक, अतार्किक, व्यर्थ या व्यर्थ, कृत्रिम, या एक असमान जवाबी शरारत का उत्पादक। इसमें संदर्भित तर्क औपचारिक या शब्दांशात्मक तर्क नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करना कि अधिनियमित कानून एक निर्धारित नहीं करेगा

मानक जो स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण, अनुचित, अनुचित या कोई अर्थ नहीं रखता है। जब कोई व्याख्या व्यावहारिक कठिनाइयों से घिरी होती है, तो अदालतें एक ऐसी व्याख्या को स्वीकार करने के लिए पक्ष बदलने से नहीं कतराती हैं जो एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है जो समाज की जरूरतों को पूरा करेगी इसलिए, जब दो व्याख्याओं के बीच विकल्प होता है, तो हम एक 'निर्माण' से बचेंगे जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और बल्कि इस दृष्टिकोण के आधार पर 'निर्माण' को स्वीकार करना चाहिए कि मसौदा तैयार करने वाले केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएंगे। हमें कानून बनाने या शासन करने के लिए यथासंभव सार्थक जीवन देने का प्रयास करना चाहिए और शव संबंधी परिणामों से बचना चाहिए।

15. हम स्पष्ट रूप से यह कहने में संकोच नहीं करेंगे कि आधुनिक

विनियामक अधिनियम वाणिज्यिक मामलों पर बहुत अधिक असर डालते हैं और इसलिए, असुविधा, टकराव और भ्रम से बचने के लिए सटीक और स्पष्ट रूप से कानून बनाया जाना चाहिए, जो इसके अलावा प्रतिकूल आर्थिक स्थिति पैदा कर सकते हैं।

परिणाम 1 2 12। इसलिए वर्तमान मामले में विधायक को म्यूचुअल फंड विनियमों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए चिंतन करना चाहिए और उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

8 बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, 5 वां संस्करण, 969 पर देखें। 9 9 986 पर आई. बी. आई.

10 971 पर, ग्रिफिथ्स एल. जे. का हवाला देते हुए। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 14 वां संस्करण, 50 पर देखें। 1 2 980 पर वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन, 5 वां संस्करण देखें।

16. अधिकांश यूनिटधारकों के रूप में कोरम के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना

या म्यूचुअल फंड विनियमों के विनियम 18 (15) (सी) में 'सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' के रूप में 'सहमति' न केवल एक बेतुकी बात होगी, बल्कि इस तथ्य को देखते हुए एक असंभवता भी होगी कि म्यूचुअल फंड

हजारों या लाखों यूनिटधारक हैं। विशेषज्ञता की कमी, वाणिज्यिक समझ, अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी आदि के कारण कई यूनिटधारक हो सकते हैं।

भाग लेना पसंद नहीं करते। योजना के सभी यूनिटधारकों के बहुमत की सहमति आगे के प्रिस्क्रिप्शन के साथ कि 'सभी यूनिटधारकों का पचास प्रतिशत' कोरम का गठन स्पष्ट रूप से एक व्यावहारिक असंभवता है और इसलिए यह एक व्यर्थ और पूर्वनिर्धारित अभ्यास होगा।

17. अनिश्चितकालीन निर्वाचक मंडल में गणपूर्ति और बहुमत की समस्या के प्रति सचेत, के प्रश्न पर इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानूनों का पहला संस्करण

कोरम और बैठकों में निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया थाः

" 791. जहाँ एक निगम में एक निश्चित संख्या होती है - निगमित निर्वाचकगण, एक वैध चुनाव का गठन करने के लिए उस संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जहां एक निगम में अनिश्चित संख्या में निगमित मतदाता होते हैं, वहां चुनाव के समय मौजूद लोगों के बहुमत की ही आवश्यकता होती है।

जब चुनाव केवल एक निश्चित निकाय द्वारा किया जाना है, या चुनावी सभा एक निश्चित और अनिश्चित काल से बनी होनी है। निकाय, चुनाव को वैध बनाने के लिए एक सामान्य नियम के रूप में, निश्चित निकाय के बहुमत को उपस्थित होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अनिश्चित निकाय का बहुमत तब तक मौजूद होना चाहिए जब तक कि निश्चित निकाय का बहुमत हो। यदि निगम का कोई घटक भाग चुनाव में उपस्थित होने से इनकार करता है, तो यह आयोजित नहीं किया जा सकता है, और शेष भागों द्वारा चुनाव अमान्य हो जाएगा। लेकिन चुनाव में उपस्थित और मतदान से दूर रहने वाले मतदाताओं को ऐसा माना जाता है -

वोट देने वालों द्वारा किए गए चुनाव को स्वीकार करें।

उपरोक्त व्याख्या, बहुमत और गणपूर्ति के उद्देश्य से,

एक निश्चित संख्या वाले निर्वाचक मंडल और अनिश्चित संख्या वाले निर्वाचक मंडल के बीच अंतर करता है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेषगिरी अय्यर ने सैयद हसन रजा साहिब शमसुल उलेमा और दो अन्य बनाम में अपने सहमति वाले फैसले में। मीर हसन अली साहब और दो अन्य लोगों ने निम्नलिखित तरीके से निश्चित और अनिश्चित संख्याओं के बीच अंतर किया थाः

13 एयर 1918 मैड 1131 फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टीज प्राइवेट सर्विसेस लिमिटेड

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

" ..... प्रथम श्रेणी के मामलों में, चयनित निकाय की संख्या तय की जाती है। मामलों के दूसरे वर्ग में, संख्या हर साल या बताई गई अवधि में भिन्नता के अधीन है। उदाहरण के लिए, एक मंदिर समिति के मतदाताओं की संख्या या एक नगर पालिका के लिए संख्या में उतार-चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। किसी विशेष अवधि के लिए निवास, या नाबालिगों की आयु प्राप्त करने से नए मतदाता आ सकते हैं। जबकि प्रवर समिति के मामले में संख्या तय की जाती है।

यूनिटधारकों के मामले में, संख्या में उतार-चढ़ाव हो रहा है और हमेशा बदल रहा है और इसलिए, अनिश्चित है। खरीद या मोचन के साथ यूनिटधारकों की संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है और बदल सकती है। इसलिए, विनियमन 18 (15) के खंड (सी) के संदर्भ में, हम किसी भी स्पष्ट शर्त के अभाव में, न्यूनतम कोरम निर्धारित नहीं करेंगे और

सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति के रूप में 'यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' की आवश्यकता। दूसरी ओर, इसका मतलब होगा कि अधिकांश यूनिटधारक जो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और समर्थन में मतदान करते हैं या म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। यूनिटहोल्डर्स

ऐसे यूनिटधारक, विभिन्न कारणों से, जैसे कि समझ और विशेषज्ञता की कमी, छोटी हिस्सेदारी आदि, दूर रहना पसंद करेंगे, और यह निर्णय दूसरों पर छोड़ देंगे। राय व्यक्त करने के लिए इस तरह के बहिष्कार या इनकार नहीं किया जा सकता है प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के रूप में माना जाता है। विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा के साथ, हम एक 'निर्माण' को स्वीकार नहीं करेंगे जो वाणिज्यिक होगा।

अराजकता और गतिरोध। इसलिए, अनुपस्थित यूनिटधारकों की ओर से मौन को न तो प्रस्ताव की स्वीकृति और न ही अस्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है। विनियमन 18 (15) (सी), जमीनी वास्तविकता में लागू होने पर, कानून और उद्देश्य/उद्देश्य [2021] 14 एस. सी. आर. को विफल करने के तरीके से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। हम इसके बजाय एक उचित और व्यावहारिक 'निर्माण' को स्वीकार करेंगे जो विधायी उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। विनियमन 18 (15) (सी) के पीछे अंतर्निहित जोर इकाईधारकों को योजना को समाप्त करने के कारण और कारण के बारे में सूचित करना और उन्हें अपनी सहमति देने या प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अवसर देना है। यह निराश करने और समापन को असंभव बनाने के लिए नहीं है। 1943 में वापस, सदरलैंड में क़ानून और सांविधिक निर्माण, खंड 2, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण। 523 , नोट 5109 में कहा गया थाः

" जहाँ एक मूर्ति को एक समकालीन और व्यावहारिक प्राप्त हुआ है

व्याख्या और कानून के रूप में व्याख्या को फिर से अधिनियमित किया जाता है, व्यावहारिक व्याख्या को सामान्य रूप से प्राप्त होने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, और अनुमानित रूप से कानून की सही व्याख्या माना जाता है। नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधायिका एक प्रतिमा की समकालीन व्याख्या से परिचित है, विशेष रूप से, जब एक प्रशासनिक निकाय या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कानून को प्रशासित करने या लागू करने के कर्तव्य के साथ बनाया जाता है, और इसलिए निहित रूप से व्याख्या को अपनाता है।

अधिनियम "।

आम तौर पर प्राप्त होता है, और इसे अनुमानित रूप से सही व्याख्या के रूप में माना जा सकता है क्योंकि मसौदा तैयार करने वाले एक कार्यात्मक और कार्यात्मक परिणाम लाने के लिए कानून बनाते हैं। 19. हम विनियमन 18 (15) (सी) में सभी या यूनिटधारकों के पूरे समूह के बहुमत की सकारात्मक सहमति की आवश्यकता को नहीं पढ़ेंगे। द.

'सभी' या 'संपूर्ण' शब्द उक्त विनियम में शामिल नहीं हैं और पाए जाते हैं। इस प्रकार, खंड के उद्देश्य के लिए यूनिटधारकों की सहमति (ग) विनियम 18 के उप-विनियम (15) का अर्थ होगा उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों का साधारण बहुमत।

20. 3 दिसंबर, 2020 को इस न्यायालय के समक्ष पहली सुनवाई में, हमने पक्षों के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, न्यासियों को समापन के लिए उनकी मंजूरी/सहमति लेने के लिए इकाइयों के धारकों की बैठक बुलाने की अनुमति दी गई। आदेश की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में कदम उठाए जाने थे। आदेश के अनुसार, न्यासियों ने 5 दिसंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में छह योजनाओं के यूनिटधारकों को भेजे जाने वाले नोटिसों को मंजूरी दी थी। यह निर्णय लिया गया कि यूनिटधारकों को ई-वोटिंग सुविधा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड प्रदान की जाएगी।

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

09 सेः 00 26 दिसंबर, 2020 को सुबह 6 बजे तकः 00 पी. एम. 28 दिसंबर, 2020 को। 29 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी।

दिसंबर, 2020 छह योजनाओं के समापन के पक्ष या विपक्ष में यूनिटधारकों की मंजूरी लेने के लिए। बैठक में भाग लेने वाले यूनिटधारक 29 दिसंबर, 2020 को मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं, बैठक की शुरुआत से लेकर बैठक के समापन के पंद्रह मिनट बाद तक की अवधि में।

21. 9 दिसंबर, 2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने SEBI को 26 और 29 दिसंबर, 2020 के बीच निर्धारित यूनिटधारकों द्वारा ई-वोटिंग के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि न्यासी ई-वोटिंग का अभ्यास कर रहे थे और हमारे निर्देशों के अनुसार एस. ई. बी. आई. एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। ई-वोटिंग के परिणाम, यह निर्देश दिया गया था, घोषित नहीं किए जाएंगे और इस अदालत के समक्ष एस. ई. बी. आई. द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद लिफाफे में पेश किए जाएंगे।

22. एस. ई. बी. आई. ने 18 दिसंबर, 2020 को अपने पत्र के माध्यम से भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया था।

छह योजनाओं के यूनिटधारकों के ई-मतदान के संबंध में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति की सहायता के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा एक तकनीकी सहायता दल का भी गठन किया गया था। तकनीकी सहायता दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थेः

(i) श्री बी. एन. साहू, मुख्य महाप्रबंधक, एस. ई. बी. आई., मुंबई;

(सुश्री नयना ओवलेकर, मुख्य परिचालन अधिकारी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी. डी. एस. एल.), मुंबई;
(iii) श्री के. श्रीराम, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और स्क्रूटिनीजर,

चेन्नई;

(iv) श्री एम. कृष्णा, सहायक निदेशक, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान

प्रयोगशाला (सी. एफ. एस. एल.), हैदराबाद और

(v) श्री सीएच. ई. साई प्रसाद, सहायक निदेशक, सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद।

23. 18 जनवरी, 2021 के इस न्यायालय के आदेश में लिखा है कि श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें दर्ज ई-मतदान के परिणामों को न्यायालय में पढ़ा गया था। रजिस्ट्री को रिपोर्ट को स्कैन करने और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट की ई-प्रतियां पक्षकारों के वकीलों के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड शामिल थे जिन्होंने हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदन दायर किए थे। पार्टियों को पर्यवेक्षक की रिपोर्ट/ई-मतदान परिणामों पर आपत्ति दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें [2021] 14 एस. सी. आर. का अधिकार था।

आपत्तियों का जवाब/जवाब दाखिल करने के लिए अन्य। यह भी निर्देश दिया गया कि न्यायालय पहले आपत्तियों, पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इस सवाल पर निर्णय लेगा कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में विनियमन 41 (1) के तहत प्रक्रिया अनिवार्य है।

24. इस न्यायालय के 25 जनवरी, 2021 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि

न्यायालय सबसे पहले ई-वोटिंग परिणामों पर आपत्तियों और इस मुद्दे/प्रश्न की जांच करेगा कि क्या यूनिटधारकों को वितरण/भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं। म्यूचुअल फंड विनियमों और अन्य पहलुओं की व्याख्या की जांच की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इस आदेश ने विरोध करने वालों को नए तथ्यों को दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की, जो स्पष्ट रूप से 25 जनवरी, 2021 को उनके संज्ञान में आए थे। विरोधी पक्षों को नए तथ्यों का खुलासा करते हुए आवेदन का जवाब दाखिल करने का विकल्प दिया गया था।

25. द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि छह योजनाओं को एक साथ रखा गया है

3 दिसंबर, 2020 तक 3,15,600 यूनिटधारक थे। पैन आधार पर फोलियो को समेकित करके इस आंकड़े की गणना की गई थी। इनमें से 3,09,360 कुल इकाईधारकों में से 98 प्रतिशत ने या तो अपनी ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया था। 6, 754 यूनिटधारकों के संबंध में न तो ई-मेल आईडी और न ही मोबाइल नंबर उपलब्ध थे। 11 दिसंबर, 2020 को 2,98,704 यूनिटधारकों को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे गए थे। 17 दिसंबर, 2020 को 5,872 यूनिटधारकों को उनके मोबाइल नंबरों पर एस. एम. एस. के माध्यम से जानकारी भेजी गई थी। 17 दिसंबर, 2020 को 10,548 यूनिटधारकों को एस. एम. एस. के माध्यम से जानकारी भेजी गई थी, जहां कोई ई-मेल पता उपलब्ध नहीं था। हालांकि, 1,766 एस. एम. एस. की डिलीवरी विफल रही। तदनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉगइन आईडी और पासवर्ड को 3,09,052 यूनिटधारकों को सूचित किया गया था, जो यूनिटधारकों की कुल संख्या का 97.92% था।

26. एम/एस। जे. सागर एसोसिएट्स, एक कानूनी फर्म, को नियुक्त किया गया था

ई-मतदान प्रक्रिया के लिए जांच, इसकी भूमिका सभी छह योजनाओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान के संचालन की देखरेख करना है। 9 जनवरी, 2021 को जांचकर्ता ने अंतिम परिणाम निर्धारित करते हुए पर्यवेक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 36 में जांचकर्ता की रिपोर्ट में दिए गए परिणामों को सारणीबद्ध रूप में पुनः प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है:

एस. योजना

खि

लाफ मतदान किया

मतदान किया

कुल वैध

नहीं।

वोट

%

%

संख्या

संख्या

1 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

53805

52075

96.78 %

17

30

3.22 %

अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड

2 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

16452

97.23 %

46

8

2.77 %

16920

लो ड्यूरेशन फंड फ्रेंकलिन टेम्प्लेटन ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

3 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

7550

97.62 %

2.38 %

7370

18

0

गतिशील संचय निधि

4 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

11634

11398

23

6

2.03 %

97.97 %

ऋण जोखिम कोष

5 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

आय के अवसर

5693

18

3

3.11 %

96.89 %

5876

कोष

6 . फ्रैंकलिन टेम्पलटन

19165

46

9

2.39 %

97.61 %

अल्पकालिक आय

19634

योजना बनाएँ

27. उपरोक्त परिणामों की गणना/सारणीबद्ध किया गया है

यूनिटहोल्डर्स का वोट प्रति यूनिटहोल्डर आधार पर एक वोट पर होता है। न्यासियों ने हमारे समक्ष प्रति इकाई एक वोट के आधार पर, यानी आनुपातिक या मूल्य के आधार पर गणना भी दायर की है। यदि आनुपातिक/मूल्य पर गणना की जाती है बंद करने के पक्ष में डाले गए मतों का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका के अनुसार बढ़ेगाः

पक्ष में मतदान किया

पक्ष में

मतदान किया

एस.

(इकाइयों

की संख्या से)

(इकाई-धारकों की संख्या के अनुसार)

योजना

नहीं।

%

संख्या

संख्या

%

फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा

52,075

96.78 %

2,206,249,485

98.06 %

1 .

लघु बॉन्ड कोष

फ्रैंकलिन इंडिया लो

16,452

621,199,5

06

98.08 %

97.23 %

2 .

अवधि निधि

फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक

3 .

97.62 %

206,632,3

12

99.18 %

7,370

संचय निधि

फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट

11,398

97.97 %

914,140,9
90

98.05 %

4 .

जोखिम कोष

फ्रैंकलिन इंडिया आय

97.37 %

380,792,6
21

96.89 %

5,693

5 .

अवसर कोष

फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट

6 .

19,165

97.61 %

97.66 %

6,783,13

0

सावधि आय योजना

28. तीन अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता हैः

(i) विनियम 18 (15) (सी) आदेश देता है और इसकी सहमति की आवश्यकता होती है बंद करने के लिए यूनिटहोल्डर, लेकिन कोई मोड निर्धारित नहीं करता है या

सहमति लेने का तरीका। इसलिए, निहितार्थ से,

विनियमन एक भौतिक बैठक, डाक मतदान आयोजित करने का विकल्प देता है या ई-पोल। शारीरिक बैठकों में मतदान हाथ दिखाकर किया जा सकता है।

या एक मतदान आयोजित करके। हाथ दिखाना त्वरित और एक आसान तरीका है

कम इकाइयों का कहना अधिक संख्या वाली इकाइयों के समान होता है। इकाइयाँ। जब प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं है। जनमत संग्रह,

चाहे वह भौतिक बैठक में हो, डाक मतपत्र के माध्यम से हो या ई-पोल के माध्यम से,

इसका एक फायदा है क्योंकि प्रत्येक इकाईधारक के पास प्रत्येक इकाई के लिए एक वोट होता है /

साझा किया गया। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां भारी असमानता है [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयोजित इकाइयों के बीच, या प्रतिस्पर्धा/विवाद की संभावना, चुनाव यूनिटधारकों की वरीयता का पता लगाने के लिए पसंदीदा तरीका है।

मतदान का मूल्य इस तथ्य में निहित है कि मतदान की भारित शक्ति

इकाइयों की संख्या के आधार पर अधिक सटीक और सटीक मिलता है। परिणाम। निवेशकों/यूनिटधारकों की बहुमत सहमति उनके द्वारा रखी गई इकाइयों की संख्या पर निर्भर होनी चाहिए।

((ii) चुनाव चुनाव के समान होते हैं। चुनाव परिणाम जैसे चुनाव परिणामों में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अधिक तो, जब यह एक की गलती है

प्रस्तावक/सफल उम्मीदवार का नहीं, बल्कि तीसरा पक्ष। जनमत संग्रह

चुनाव परिणाम जैसे परिणामों को दूषित नहीं माना जाना चाहिए

नियमों या गलती का उल्लंघन, जब तक और जब तक उल्लंघन या गलती न हो,

यह साबित होता है कि इसने मतदान के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। यह

सामान्य सिद्धांत केवल तभी विचलित हो सकता है जब चुनाव/चुनाव इतनी बुरी तरह से आयोजित किया जाता है कि यह काफी हद तक इसके अनुरूप न हो।

चुनाव के बारे में कानून, इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम प्रभावित हुआ था या नहीं। 15 (iii) जब चुनाव या मतदान व्यावसायिक प्रकृति के मुद्दों या विकल्पों पर होता है, तो आम तौर पर यह अदालत के लिए न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है।

गुण या ज्ञान की जांच करके खामियों को दूर करना

यूनिटहोल्डर्स जिन्होंने मतदान किया है। अदालत सुसज्जित नहीं है और होना चाहिए

प्रबंधन, संस्थागत संप्रभुता और चुनने और निर्णय लेने का अधिकार खेल में आओ। 1 6 यूनिटधारक सबसे अच्छे न्यायाधीश होते हैं और अपने हितों से अधिक परिचित होते हैं। बस इतना ही देखना है कि

प्रशासन में निष्पक्षता के व्यापक मानदंड, प्रामाणिक चुनाव/चुनाव और उचित प्रबंधन के बुनियादी नियम।

सार्वजनिक व्यवसाय का उल्लंघन नहीं किया गया है। 29. ई-मतदान के परिणामों का विरोध करने वालों की संख्या सोलह है

और, विवरण के अनुसार, उनकी छह योजनाओं में 20,02,114.041 इकाइयाँ हैं।

) . 033 % . (चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एकाउंटेबिलिटी, एक पक्ष और एक आक्षेपकर्ता, छह योजनाओं में कोई इकाई नहीं रखता है। न्यासियों/ए. एम. सी. ने सी. एफ. एम. ए. के स्थान और भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हम नहीं हैं।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 107 से 110 स्पष्ट प्रावधान हैं और तदनुसार शेयरधारकों की बैठक के मामले में लागू होंगे।

मॉर्गन वी. देखें। सिम्पसन [1975] क्यूबी 151। उर्वरक निगम देखें। कामगर यूनियन (विनियमित) बनाम। भारत संघ, (1981) 1 एस. सी. सी. 568।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

वर्तमान में उक्त पहलू की जांच की जा रही है जिसे जांच के लिए खुला छोड़ दिया गया है और यदि आवश्यक हो तो बाद में निर्णय लिया जा सकता है।)

30. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, विरोध करने वालों ने प्रस्तुत किया है कि केवल 38 प्रतिशत यूनिटधारकों ने मतदान किया था। दूसरी ओर, न्यासियों/ए. एम. सी. ने कहा है कि डाले गए वोट लगभग 54 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बकाया इकाइयों की कुल संख्या का लगभग 54 प्रतिशत, आनुपातिक/मूल्य आधार पर। हालाँकि हमें मतों का योजनाबद्ध विभाजन प्रदान नहीं किया गया है जो दिए जाने चाहिए थे, लेकिन योजनाओं को समाप्त करने के लिए भारी सहमति के कारण यह मायने नहीं रखता है। न्यासियों का यह भी कहना है कि संबंधित को अधिकृत करने के लिए निगमित औपचारिकताओं के अभाव के तकनीकी आधार पर जांचकर्ता द्वारा बड़ी संख्या में निगमित मतों को अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रतिनिधि। अस्वीकृत वोट 1,997 यूनिटधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके पास लगभग 68.10 करोड़ यूनिट हैं जिनका मूल्य रु। 2,464 करोड़। इसके अलावा, अस्वीकृत मतों का भारी बहुमत-रु। 2,420 मूल्य के हिसाब से करोड़, इकाइयों के हिसाब से 98.6% और इकाइयों की संख्या के हिसाब से 97.5%- इस योजना के पक्ष में थे। तदनुसार, यदि इन अस्वीकृत मतों को लिया जाता है

इसे ध्यान में रखते हुए, आनुपातिक रूप से मतदान किए जाने वाले कुल मत लगभग 54 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 62 प्रतिशत हो जाएंगे।

31. हमें नहीं लगता कि हमें उक्त पहलू में बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यूनिटधारकों को मतदान करने का मौका और विकल्प दिया गया था और लगभग 38 प्रतिशत यूनिटधारकों ने संख्यात्मक संदर्भ में और 54 प्रतिशत ने मूल्य के संदर्भ में समापन के प्रस्ताव को सहमति देने या अस्वीकार करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। न्यूनतम कोरम की अनुपस्थिति या आवश्यकता में, जो विनियमों में प्रदान या निर्धारित नहीं है और न ही

कानून के तहत अनिवार्य, ई-वोटिंग परिणाम को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संख्यात्मक रूप से 38 प्रतिशत यूनिटधारकों और मूल्य के संदर्भ में 54 प्रतिशत ने भाग लिया था, भले ही हम अस्वीकृत मतों के लिए जिम्मेदार न हों। यह छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के प्रस्ताव पर सहमति देने वाले सकारात्मक परिणाम को अस्वीकार करने और नजरअंदाज करने का आधार नहीं हो सकता है।

32. उठाई गई प्राथमिक आपत्ति मेसर्स की नियुक्ति से संबंधित है। केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिमिटेड ('केफिन टेक्नोलॉजीज')

मंच सेवाएँ। प्रस्तुतिकरण यह है कि केफिन टेक्नोलॉजीज मेसर्स की सहयोगी/बहन है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। यह कंपनी, मेसर्स। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, जिसे 24 नवंबर, 2020 के एक प्रतिकूल आदेश द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1), 11 (4) और 11 बी के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. (मध्यस्थ) विनियम, 2008 के विनियम 35, [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत अभ्यारोपित किया गया है।

निवेशक धोखाधड़ी के आधार पर नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया गया है, निवेशकों/ग्राहकों के अभिलेखों का मिथ्याकरण और ग्राहक निधि का दुरुपयोग।

33. यह तर्क हमें प्रभावित नहीं करता है और परिणामों को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह बताया गया है कि केफिन टेक्नोलॉजीज, जब से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया है, तब से सूचीबद्ध सार्वजनिक सीमित कंपनियों को ई-मतदान मंच सेवाएं प्रदान कर रही है। केफिन टेक्नोलॉजीज का ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित है। एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएँ। 2013 से केफिन टेक्नोलॉजीज ने 4,500 से अधिक ई-वोटिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस विशिष्ट प्रस्तुति पर मतदान के परिणामों को अस्वीकार करने से गंभीर परिणामों के साथ संदेह पैदा होगा।

कई प्रतिष्ठित कंपनियों के ई-मतदान परिणामों पर। विरोध करने वाले एक भी उदाहरण की ओर इशारा करने में असमर्थ हैं जहां केफिन टेक्नोलॉजीज को देखा गया है।

दोषी ठहराया गया। वर्तमान मामले में, ई-वोटिंग अभ्यास की निगरानी तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा भी की गई थी, जिसमें श्री एम. कृष्णा और श्री सीएच. ई. साई प्रसाद, सहायक निदेशक, सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद शामिल थे।

34. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान वकील

विरोध करने वालों ने सहायक निदेशकों, सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसे पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-11 के रूप में संलग्न किया गया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में विश्लेषण का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" सी. वेबसाइट 'Https: //उद्दीपन। केफिनटेक। कॉम 'पूरा करता है

एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन के अनुसार गुणवत्ता स्तर II सेवाएँ, एम. ई. आई. टी. वाई., सरकार। भारत का, नई दिल्ली। प्रमाण पत्र में अनुमोदन संख्या सीक्यूडब्ल्यू/198 है और यह 4 फरवरी, 2022 तक वैध है।

विश्लेषण के उद्देश्य

1) ई-मतदान 26 तारीख की अवधि के दौरान हुआ था।

दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक।

ए. डाले गए ई-वोटों का विश्लेषण ई-वोटिंग लॉग, ई-वोटिंग लेनदेन लॉग और मास्टर डेटा बेस से लिए गए ई-वोटिंग से संबंधित डेटा के आधार पर किया गया है। नीचे दी गई

तालिका प्रत्येक के खिलाफ डाले गए ई-वोट का विवरण प्रदान करती है।

योजना।

के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी निजी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

की संख्या

की संख्या

मतों की

संख्या

पहला वोट

अंतिम वोट

के रूप में मतदान करें

एस.

के रूप में मतदान करें

के

अनुसार

कास्ट की तारीख और

ई के अनुसार

योजना का नाम कास्ट करने की तिथि और

नहीं।

इसके अनुसार

लेन-देन

समय

समय

मतदान

लॉ

ग

डाटाबेस

लॉग

फ्रैंकलिन इंडिया

26 दिसंबर

28 दिसंबर

1 ऋण जोखिम

11

795

2020 0900

2020 1800

कोष

फ्रैंकलिन इंडिया 26 दिसंबर

28 दिसंबर

2 गतिशील

76

80

2020

2020

संचयी निधि

1801

0900

फ्रैंकलिन इंडिया

26 28 दिसंबर

आमदनी

3

2020

59

95

2020

अवसर

0900

1759

कोष

फ्रैंकलिन इंडिया 26 दिसंबर 28 दिसंबर

17122 17122

4 कम अवधि

2020

2020

17
122

कोष

1800

0900

फ्रैंकलिन इंडिया 26 दिसंबर 28 दिसंबर

5 अल्पावधि

2020

2020

19897 19897

19
897

आय योजना

1800

0900

फ्रैंकलिन इंडिया 26 दिसंबर 28 दिसंबर

54

247

6 अल्ट्रा शॉर्ट

2020

2020

बॉन्ड फंड

0859

1803

116736 116736 116736

कुल

ख. उपरोक्त मतों का 0.5% यादृच्छिक रूप से चुना गया है। योजना

मास्टर डेटाबेस में बुद्धिमान और समान रूप से सत्यापित किया गया है।

उसी के स्क्रीन कैप्चर अनुलग्नक I में दिए गए हैं। (पृष्ठ संख्या। 1 से 16)। सत्यापन पर ई-वोटिंग लॉग का मिलान होता है

मास्टर डेटाबेस के साथ।

2) ए. जी. एम. वी. सी. के दौरान इंस्टापोल वोटों का विश्लेषण

29 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया संकेत देता हैः

ए. 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ए. जी. एम.

छह योजनाओं के लिए निर्धारित समय अंतराल पर किया गया।

इसका विवरण नीचे दिया गया है।

बी. यह केफिन टेक द्वारा सूचित किया गया था। जो ग्राहक

26 दिसंबर को ई-वोटिंग के दौरान पहले ही मतदान कर चुका था

2020 28 दिसंबर 2020 तक फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं है

इंस्टा मतदान प्रक्रिया के दौरान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. नीचे दी गई तालिका इंस्टापोल वोट कास्ट का विवरण दिखाती है

प्रत्येक योजना के विरुद्धः

फर्स्ट इंस्टा

अंतिम

इंस्टा

एजीएम वीसी

एजीएम वीसी

एस.

एजीएम

वोट कास्ट

वोट कास्ट

इंस्टोपोल

योजना का नाम

प्रारंभ तिथि

समाप्ति तिथि

तिथि और

तिथि

और

वोट।

नहीं।

आईडी

और समय

और समय

समय

समय

फ्रैंकलिन इंडिया

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

64

1 डब्ल्यू. एम. डी. क्रेडिट जोखिम

4274

1500

14: 07

14: 01

1400

कोष

फ्रैंकलिन इंडिया

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

गतिशील

2

4275

33

1300

12:
48

1200

12: 04

संचय निधि

फ्रैंकलिन इंडिया

आमदनी

29-12-2020

29-12-2020

29-12-
2020

29-12-2020

4276

30

3

अवसर

16:
00

1515

1615

15: 16

कोष

फ्रैंकलिन इंडिया

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

4 कम अवधि 4277

93

1045

1145

10: 46

11: 58

कोष

फ्रैंकलिन इंडिया

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

5

4278

अल्पावधि

104

17: 41

1630

16: 17

1730

आय योजना

फ्रैंकलिन इंडिया

29-12-2020

29-12-2020

29-12-2020

6

अल्ट्रा शॉर्ट 4279

356

10: 34

1030

0900

09: 00

बॉन्ड फंड

कुल

680

विशेष रूप से, हमारा ध्यान अनुच्छेद 4 और 5 की ओर खींचा गया था।

रिपोर्ट जो रिकॉर्ड करती है कि पूर्ण डेटाबेस गतिविधि निगरानी लॉग प्रदान नहीं किए गए थे और कई वोटों के लिए, आईपी पते पर कब्जा कर लिया गया था

केफिन टेक्नोलॉजीज के लोड बैलेंसिंग सर्वर का आईपी पता था।

यह कुछ विरोधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि केफिन द्वारा दी गई रिपोर्ट तकनीकों को फोरेंसिक विशेषज्ञों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाना चाहिए।

फोरेंसिक विशेषज्ञों की विश्लेषण रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 से 5 में लिखा हैः

" 3) दो वेब सर्वरों (पी1 डब्ल्यूबी1 डब्ल्यूवी-1122) के घटना लॉग

और पी1 डब्ल्यूबी1 डब्ल्यूवी-1146) और डाटाबेस सर्वर (पी1 डीबीडब्ल्यूवी-1707)

केफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए हैं। लि. का विश्लेषण ये घटना लॉग सामान्य का संकेत देने वाली कोई असामान्य घटनाओं का खुलासा नहीं करते हैं।

प्रणालियों की कार्यक्षमता।

4) आधार पर डाले गए ई-वोट, इंस्टापोल वोट का विश्लेषण आईपी पतों से संकेत मिलता है कि कास्टिंग के उदाहरण हैं

एक ही आईपी पते से कई वोट। विवरण प्रदान किया जाता है

अनुलग्नक I (पृष्ठ संख्या। 17 से 104)। ग्राहक विवरण

(योजना के अनुसार) जिसके लिए एक ही आई. पी. पता दर्ज किया गया है अनुलग्नक I (पृष्ठ संख्या) में कई ई-वोट दिए गए हैं।

105 1988 तक)।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ सीमित

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

विश्लेषण पर यह देखा गया है कि प्राप्त किए गए कई मतों के लिए आईपी पता 10 है। 41.3.252 , जो केफिन टेक के लोड बैलेंसिंग सर्वर का आईपी पता है। केफिन टेक ने बताया कि ई-वोट के लिए आने वाले अनुरोधों के सार्वजनिक आई. पी. पते 26 दिसंबर 2020 के 1231 बजे के बाद ही प्रभावी थे। कार्यान्वयन में समस्याओं के कारण

विन्यास. इन ई-वोटों का विवरण अनुलग्नक I (पृष्ठ संख्या) में दिया गया है। 1989 से 2928)।

5) पूर्ण डेटाबेस गतिविधि निगरानी लॉग नहीं हो सका

केफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया। लिमिटेड "।

35. न्यासियों/एएमसी और केफिन टेक्नोलॉजीज ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 पर विवाद किया है जिसमें कहा गया है कि डेटाबेस निगरानी लॉग थे

फोरेंसिक विशेषज्ञों को प्रदान किया गया। हालाँकि, हमें उक्त पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी राय में, रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है और विरोध करने वालों द्वारा गलत समझा जा रहा है। यह सही है कि कुछ मतों के लिए, आईपी पता 10 है। 41.3.252 जैसा कि कैद किया गया था वह केफिन टेक्नोलॉजीज के लोड बैलेंसिंग सर्वर का था। हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि केफिन टेक्नोलॉजीज ने समझाया है कि तकनीकी या कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण यह 26 दिसंबर, 2020 को 1231 घंटे के बाद ई-वोटों के सार्वजनिक आईपी पते पर कब्जा करने में सक्षम था। पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि ग्राहकों का विवरण, योजना-वार, जहां एक ही आईपी पते को कई ई-वोटों के लिए लॉग किया गया है, फोरेंसिक विशेषज्ञों को प्रदान किया गया था। स्पष्ट रूप से, प्रत्येक ग्राहक/यूनिटहोल्डर का विवरण प्रस्तुत किया गया था जहां एक या एक ही आईपी पते का उपयोग कई वोट डालने के लिए किया गया था। यह विरोध करने वालों का मामला नहीं है कि किसी भी यूनिटधारक/मतदाता ने अपनी पहचान के प्रतिरूपण या दुरुपयोग की शिकायत की है। केफिन टेक्नोलॉजीज ने समझाया है कि सिस्टम में कुल 1,17,416 वोट पंजीकृत किए गए थे। स्रोत आई. पी. पता 88,293 मामलों में लिया गया था। 29, 123 मामलों में, लोड बैलेंसिंग सर्वर आई. पी. के साथ वोट आई. आई. एस. लॉग में दर्ज किए गए थे, जिसके लिए उपयोगकर्ता आई. पी. 26 दिसंबर 2020 (09: 00 12 बजे तकः 31 अपराह्न) उपलब्ध था। उन्होंने डेटा प्रवाह आरेख के माध्यम से ई-मतदान मंच को स्पष्ट और समझाया है। वैध लॉगइन पर ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म एक बार का पासवर्ड जारी करेगा जिसे ई-मेल या एस. एम. एस. के माध्यम से यूनिटधारक को भेजा जाएगा। यह वन-टाइम पासवर्ड यादृच्छिक रूप से था और

मानव हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से उत्पन्न। यूनिटधारक को वन-टाइम पासवर्ड दर्ज करना था और उसके बाद अपना वोट डालना था। वोट डालने के बाद, पंजीकृत मतदाता पहचान पत्र/मोबाइल नंबर पर पावती/पुष्टि ई-मेल/एस. एम. एस. भेजा गया। इसके अलावा, डेटा [2021] 14 एस. सी. आर.

डाटाबेस में संग्रहीत एक तरह से कूटबद्ध था। ई-वोटिंग विंडो नहीं खुली थी और एप्लिकेशन उपयोगकर्ता या यूनिटधारक को कोई विवरण दर्ज करने की अनुमति नहीं देता था। महत्वपूर्ण रूप से, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ई-वोटिंग से पहले, विशेषज्ञों द्वारा प्रणाली की गहन जांच की गई थी। रिपोर्ट (अनुलग्नक-11) में दर्ज किया गया है कि जाँच करने के लिए, 0.5% मतों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया और सत्यापन पर, ई-लॉग का मास्टर डेटाबेस के साथ मिलान किया गया। इसके अलावा दो वेब सर्वरों के इवेंट लॉग की जांच और विश्लेषण पर कोई असामान्य घटना नहीं देखी गई, जो सिस्टम की सामान्य कार्यक्षमता का संकेत देती है। हम सी. एफ. एस. एल. के फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के संदर्भ में न्यासियों/ए. एम. सी. और केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं।

36. ई-वोटिंग परिणामों पर तीसरी आपत्ति यूनिटधारकों को दिए गए नोटिस से उत्पन्न होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ गुमराह करता है और प्रभावी रूप से यूनिटधारकों को अपनी सहमति देने के लिए प्रेरित करता है और प्रचार करता है

बंद करने के लिए। हमारा ध्यान विशेष रूप से निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया गया थाः

ई-वोटिंग के लिए सूचना के पैराग्राफ और उपरोक्त प्रस्तुति को उजागर करने के लिए यूनिटधारकों की बैठकः

" न्यासी ने निर्णय पर उचित विचार किया है

माननीय उच्च न्यायालय और माननीय को एक अपील को प्राथमिकता दी

फैसले के कुछ पहलुओं पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तथापि, मूल्य प्रपत्र योजना परिसंपत्तियों की व्यवस्थित प्राप्ति और जल्द से जल्द यूनिटधारकों को वितरण के लिए, न्यासी ने योजनाओं को समाप्त करने के लिए यूनिटधारकों की मंजूरी लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 दिसंबर, 2020 को अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अनुमति दी गई थी

सभी दलों से।

XX

XX

XX

जैसा कि योजना पोर्टफोलियो में बताया गया है

इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि योजना परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असुरक्षित है और प्रत्येक प्रतिभूति की तरलता स्थिति है, और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त मूल्य अलग-अलग हो सकता है। तरलता उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध समय पर। एक क्रमबद्ध

परिसमापन से यूनिटधारकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

XX

XX

प्रस्तावित संकल्प "। 37.
पहली बार में विवाद में योग्यता प्रतीत होती है,

यद्यपि ई-मतदान और यूनिटधारकों की बैठक के लिए सूचना होनी चाहिए

पूरा पढ़ें। ई-मतदान प्रक्रिया की ओर ले जाने वाले इतिहास के लिए भी हमें जिम्मेदार होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि न्यासियों ने पहले ही एक

छह योजनाओं को बंद करने का निर्णय। विनियम 39 (3) न्यासियों की अपेक्षा करता है

योजनाओं को बंद करने की परिस्थितियों का खुलासा करना। तदनुसार न्यासियों ने ई-वोटिंग और यूनिटधारकों की बैठक के लिए दिए गए नोटिस में छह योजनाओं को बंद करने के लिए अपना स्पष्टीकरण और कारण प्रस्तुत किया था और निम्नानुसार भी कहा थाः

" न्यासी सहायता के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दे रहा है।

यूनिटहोल्डर उपलब्ध मतदान विकल्पों के फायदे और नुकसान का आकलन करते हैं।

उनके लिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि परिणाम होंगे

ठीक वैसा ही जैसा न्यासी उम्मीद करता है। हम यूनिटधारकों से सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं निम्नलिखित पर विचार करें और
उचित सलाह और मार्गदर्शन लें

यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए।

"हाँ" के लिए मतदान "नहीं" के लिए मतदान

ए. यू. एम.

नकद

के लिए उपलब्ध

समाधान का अर्थ है चुनना

समाधान का अर्थ है
चुनना

में से

एक क्रमबद्ध वाइंडिंग-ऊपर

फिर से खोली जाने
वाली योजना,

दिसंबर

वितरण

1 , 2020

संभावित रूप से

संकट की ओर ले जा रहा है

एक क्षमता के साथ योजना

जिस तरह से

1 दिसंबर,

के लिए उचित मूल्य का एहसास करें

परिसंपत्तियों की

बिक्री और हानि

2020 *

मूल्य

परिसंपत्तियाँ

((i) प्रतिभूतियों में

(i) यह योजना

होगी -

4,683

10,128

योजना को समाप्त किया जा सकता है

(46.24 % में से

इसे फिर से

खोलने की आवश्यकता है

ए. यू. एम)

व्यवस्थित तरीके से

तुरंत और मई

आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं

आपात स्थिति

की आवश्यकता है

प्रतिभूतियों का परिसमापन, यदि

संकट बिक्री के साथ (के रूप में

एक उच्च मात्रा

मुक्ति नहीं है

मुक्ति प्राप्त

होती है।

अनुमति है) इसलिए सक्षम कर रहा है

का व्यवस्थित परिसमापन

मेले में पोर्टफोलियो परिसंपत्तियाँ

((ii) इससे परेशानी

हो सकती है।

मूल्य। आय

प्रतिभूतियों

की बिक्री क्रम में

मुक्ति पाने के

लिए

योजना द्वारा प्राप्त किया जाएगा

वितरित किया जाता है

प्राप्त हुआ। यह

बाजार है

अनुपात में यूनिटधारक

होने की

संभावना नहीं है

ऐसी तरलता को अवशोषित करने के लिए

उनके द्वारा आयोजित इकाइयों के लिए,

नियमित अंतराल।

बड़ी मात्रा में

थोड़े समय के

लिए प्रतिभूतियाँ

((ii) यह विकल्प सक्षम करेगा।

समय की

अवधि और यह हो सकता है

अधिकतम वसूली

बोलियां प्राप्त

करना संभव नहीं है

द्वारा धारित प्रतिभूतियों का मूल्य

सभी के लिए

उचित कीमतों पर

ऐसी

प्रतिभूतियाँ

योजना।

परिस्थितियाँ।

(i) अधिकृत व्यक्ति

एक संकटग्रस्त

बिक्री

इस स्थिति में होगा कि

में रखी गई

प्रतिभूतियाँ

सबसे उपयुक्त लें

पोर्टफोलियो के

परिणामस्वरूप हो सकता है

तेजी से और

तीव्र गिरावट

के संबंध में कार्रवाई

एन. ए. वी.

प्रत्येक प्रतिभूति का परिसमापन

के लिए भारी

नुकसान

क्योंकि कोई अनुचित नहीं होगा

यूनिटहोल्डर्स

(चाहे जो भी हो)

जल्दबाजी या बिकवाली का दबाव।

बाजार की

स्थिति।

[ii) एन. ए. वी. नहीं होगा

जबकि प्रयास

नकारात्मक रूप से प्रभावित

कम से कम

होगा
नुकसान तो होता ही है

परिसमापन होगा

सुव्यवस्थित और वहाँ होगा

कोई आश्वासन

नहीं है कि
यह होगी योजना

संकट बिक्री की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसा करने में

सफल।

(iii) यूनिटधारक नहीं होंगे

यूनिटधारकों

को इसकी आवश्यकता होगी

आवेदन करने के लिए आवश्यक (ii)

मुक्ति। यूनिटहोल्डर्स

मोचन के लिए

आवेदन करें यदि

नियमित प्रोरेट प्राप्त करेंगे

वे प्राप्त करना

चाहते हैं

निवेश का वितरण

पैसे। इसका

परिणाम हो सकता है

असमान रूप से

परिसंपत्तियों के रूप में आय

व्यवस्थित रूप से समाप्त किया गया

किसी भी

नकदी का वितरण
यूनिटहोल्डर्स के लिए उत्पन्न

योजना द्वारा।

समय के

अनुसार

मुक्ति।

मूल्यांकन में

समायोजन

और

परिणामी

एनएवी में कमी

की

आवश्यकता हो सकती है

में से

द.

खाता

उपरोक्त कारक

में

के अनुसार

के साथ

लागू होने

वाले नियम।

छह म्यूचुअल फंड के समापन से संबंधित विवाद

योजनाएं लंबे समय से सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। अदालत न्यायिक नोटिस भी लेगी कि यूनिटधारक प्रक्रिया सहित समापन के खिलाफ मुकदमे के बारे में जागरूक और सचेत थे। साथ ही, आम जनता में कई लोग म्यूचुअल फंड और ऋण प्रतिभूति बाजार से संबंधित वाणिज्यिक विचारों और बारीकियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकते हैं। यही सटीक कारण है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं।

प्रतिभूति बाजार में सीधा निवेश करें और म्यूचुअल फंड को प्राथमिकता दें। इसके अलावा, न्यासियों ने पहले दस्तावेज़ संख्या 16 (2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14288 से उत्पन्न अपील में पृष्ठ

1253 से 1255 तक संलग्न) के माध्यम से छह योजनाओं को बंद करने के अपने फैसले के कारणों को बताया था। इस सूचना के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" कोविड-19 के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था के अभूतपूर्व लॉकडाउन ने देश भर में आजीविका और व्यवसायों को प्रभावित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपायों के बावजूद एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

(आर. बी. आई.), कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के कुछ क्षेत्रों में तरलता नाटकीय रूप से गिर गई है और पिछले कुछ वर्षों से कम बनी हुई है। विस्तारित अवधि।

इस परिदृश्य में म्यूचुअल फंड अभूतपूर्व तरलता का सामना कर रहे हैं

विभिन्न कारकों के कारण चुनौतियों-बढ़ते जोखिम से बचने के कारण बढ़ती मुक्ति, पैदावार में वृद्धि और बांड बाजारों में कम व्यापारिक मात्रा के बाद बाजार के नुकसान को चिह्नित करें।

इन कारकों ने मिलकर निवेश करने वाली ओपन-एंड म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और बिगड़ती तरलता की कमी का कारण बना है।

क्रेडिट रेटिंग स्पेक्ट्रम में कॉर्पोरेट क्रेडिट। महत्वपूर्ण घोषणाः इस स्थिति में हम पाते हैं कि

नीचे पहचानी गई योजनाओं के लिए मोचन के लिए उचित मूल्य पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की क्षमता गंभीर दबाव में है और फ्रैंकलिन टेम्पलटन की कुछ योजनाओं के लिए दैनिक मोचन के लिए पर्याप्त तरलता उत्पन्न करना संभव नहीं है। तदनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत में फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के न्यासियों ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन एएमसी द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा के बाद, और

निवेश दल के साथ निकट परामर्श में, स्वेच्छा से

छह उपज-उन्मुख निश्चित के अपने समूह को बंद करने का फैसला किया

आय निधि, 23 अप्रैल, 2020 से कटौती के बाद का समय (अनुलग्नक I-निवेशकों को सूचना देखें) क्योंकि उनकी राय है कि एक घटना हुई है, जिसके लिए इन योजनाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह निर्णय सीओआईडी-19 महामारी के कारण गंभीर बाजार विस्थापन तरलता के आलोक में और पोर्टफोलियो की प्रबंधित बिक्री के माध्यम से निवेशकों के लिए मूल्य की रक्षा के लिए लिया गया है। समाप्त की जा रही योजनाओं की सूची इस प्रकार हैः

1. फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड (एफआईयूबीएफ)

2. फ्रैंकलिन इंडिया अल्पकालिक आय कोष (एफ. आई. एस. टी. आई. पी.)

3. फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड (एफ. आई. सी. आर. एफ.)

4. फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड (एफ. आई. एल. डी. एफ.)

5. फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रुअल फंड (एफ. आई. डी. ए.)

6. फ्रैंकलिन इंडिया आय अवसर कोष (एफ. आई. आई. ओ. एफ.)

समापन की ओर ले जाने वाले कारकः की प्रभाव योजनाएं फ्रैंकलिन टेम्पलटन अपने मोचन [2021] 14 एस. सी. आर. को पूरा करने में सक्षम थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अब तक तुरंत और रूढ़िवादी रूप से चिह्नित, कॉर्पोरेट बांड बाजारों में गंभीर विस्थापन की पृष्ठभूमि में निरंतर मोचन दबाव हमारी क्षमता पर बहुत दबाव डालेंगे। सभी निवेशकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना।

इसलिए न्यासियों के पास इकाइयों के धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए योजनाओं को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, योजनाओं को बंद करना धन का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था। निवेशकों के लिए मूल्य में क्षरण को कम करते हुए यूनिटहोल्डर्स।

न्यासियों का यह भी तर्क है कि उन्हें

छह योजनाओं को समाप्त करने के कारणों को उचित ठहराएँ और समझाएँ और इसलिए नोटिस को इस तरह से लिखा गया था। नोटिस में निवेशकों को यह भी सूचित किया गया था कि सदस्यता का निलंबन होगा और

23 अप्रैल, 2020 से कट-ऑफ समय के बाद मोचन। उपरोक्त निधियों में और उनमें से सभी व्यवस्थित निवेश योजनाएं, व्यवस्थित हस्तांतरण योजनाएं और व्यवस्थित निकासी योजनाएं 23 अप्रैल, 2020 से कट ऑफ समय के बाद रद्द कर दी गईं।

इस नोटिस में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया गया था।

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

निधि परिसंपत्तियों से धन के वितरण के संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए कि छह योजनाओं को समाप्त करने के निर्णय के बाद, न्यासी व्यवस्थित रूप से प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे और

यूनिटधारकों के लिए मूल्य संरक्षित करने के उद्देश्य से अंतर्निहित परिसंपत्तियों का परिसमापन। उनका प्रयास पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, ताकि 'अभूतपूर्व परिस्थितियों' में सभी निवेशकों के लिए एक समान निकास को सक्षम किया जा सके। हम नहीं सोचते कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, ई-वोटिंग के लिए नोटिस और सामग्री छह योजनाओं को समाप्त करने के लिए यूनिटधारकों द्वारा दी गई सहमति को रद्द करने को उचित ठहराएगी।

38. अब हम सहमति/ई-मतदान के परिणामों पर कुछ अन्य आपत्तियों का उल्लेख करेंगे और उनसे निपटेंगे, जो हमारी राय में केवल दावे हैं, या कम से कम छोटी अनियमितताएं हैं, जिनमें कोई सार नहीं है। ये

विवाद इस प्रकार हैं:

(i) श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति की एस. ई. बी. आई. द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति 18 दिसंबर, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से की गई थी।

26 दिसंबर, 2020 को देर से सार्वजनिक;

((ii) न्यासियों के निदेशक श्री आलोक सेठी के नाम से 6 दिसंबर, 2020 को जारी ई-बैठक के लिए उनके द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। हालाँकि, श्री आलोक सेठी ने बाद में 28 दिसंबर, 2020 को नोटिस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए थे।

(iii) एम/एस। जे. सागर एंड एसोसिएट्स को ई-वोटिंग के संचालन की देखरेख के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था और पर्यवेक्षक श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को इस रूप में कार्य करना चाहिए था

जाँचकर्ता;

(iv) केफिन टेक्नोलॉजीज को 29 अप्रैल, 2020 को न्यासियों के निदेशक मंडल की बैठक के माध्यम से ई-मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था और उसके बाद 8 जून, 2020 को समझौता किया गया था, लेकिन इस समझौते पर 30 जून, 2020 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह, एम/एस। जे. सागर एंड एसोसिएट्स, विधि फर्म, को 13 मई, 2020 को नियुक्ति पत्र द्वारा जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और विधि फर्म ने जाँचकर्ता के रूप में कार्य करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। हालाँकि, न्यासियों के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव को 21 मई, 2020 को प्रचलन द्वारा अनुमोदित किया गया था। उनके सगाई पत्र में आगे का परिशिष्ट जारी किया गया था

22 दिसंबर, 2020 को और [2021] 14 एस. सी. आर.

(v) ई-वोटिंग के लिए सूचनाओं में स्पष्टता के साथ यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि क्या ई-वोटिंग किसी भी प्रौद्योगिकी मंच पर संभव है। लैपटॉप/डेस्कटॉप या स्मार्टफोन आदि, हालांकि ऐसी सुविधा उपलब्ध थी।

39. ये विवाद केवल निटपिक्स हैं और शायद ही समाप्त करने की सहमति की अस्वीकृति को उचित ठहराएंगे जो द्वारा व्यक्त किया गया है

95 प्रतिशत से अधिक यूनिटधारकों ने मतदान किया था। श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को देखते हुए एस. ई. बी. आई. द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें बैठक या प्रक्रिया का संचालन नहीं करना था, बल्कि केवल पूरी प्रक्रिया की देखरेख और अपनी रिपोर्ट देनी थी। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक होने के नाते, उनकी टिप्पणियाँ और रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों से किसी भी बहस, संदेह या प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। पर्यवेक्षक आँखें और कान हैं, जिन पर न्यायालय भरोसा कर सकता है। श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उन्हें कई कॉल, संदेश और ई-मेल प्राप्त हुए थे जिनमें मतदान में कठिनाई, पासवर्ड न मिलने और हेल्प लाइन तक पहुंचने में कठिनाई व्यक्त की गई थी। वह.

इसलिए, उन्होंने इन संदेशों को न्यासियों और केफिन टेक्नोलॉजीज तक पहुँचाया था। प्रतिक्रिया के आधार पर, हेल्प लाइनों की संख्या बढ़ाई गई। मिस्ड कॉल वापस किए गए और जवाब दिए गए। पर्यवेक्षक का

अनुलग्नक-10 में श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को की गई शिकायतों/कॉल का उल्लेख किया गया है और यह भी दर्ज किया गया है कि इनका निवारण किया गया था। किसी भी यूनिटधारक ने व्यक्त या कहा नहीं है कि वे मतदान नहीं कर सकते हैं या उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। नोटिस पर डिजिटल हस्ताक्षर की अनुपस्थिति या कमी एक तकनीकी है और एक ठोस आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, न्यासियों ने समझाया है कि तकनीकी सहायता दल द्वारा उठाई गई आपत्ति को देखते हुए, श्री आलोक सेठी ने रिकॉर्ड के उद्देश्य से नोटिस की एक प्रति पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए थे। यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सूचना उपलब्ध कराई गई थी

तकनीकी सहायता दल को। एम/एस। जे. सागर एंड एसोसिएट्स और केफिन टेक्नोलॉजीज को पहले न्यासियों द्वारा संभवतः विनियमों के विनियम 18 (15) के खंड (सी) के अनुपालन के लिए नियुक्त किया गया था। केफिन टेक्नोलॉजीज और मेसर्स के साथ समय-समय पर पहले के समझौते। जे.

सागर एंड एसोसिएट्स किसी भी तरह से अनियमितता नहीं होगी। इसके अलावा, श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति स्वयं मतों की गिनती नहीं कर रहे थे क्योंकि इस अभ्यास को अनिवार्य रूप से जांचकर्ता, मेसर्स द्वारा किया जाना था। जे. सागर एंड एसोसिएट्स। सहमति के उद्देश्य से ई-मतदान का संचालन करने के लिए, न्यासियों ने केफिन टेक्नोलॉजीज और मेसर्स की सेवाएं ली थीं। जे. सागर एंड एसोसिएट्स। मैसर्स जे. सागर एंड एसोसिएट्स एक कानूनी फर्म होने के नाते, यह स्पष्ट है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ नहीं हैं। आवश्यक रूप से, वे केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और विवरणों पर भरोसा करेंगे। हम पहले ही फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के सवाल से निपट चुके हैं।

वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

ई-वोटिंग डेटा और यह कि इसकी जाँच दो तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई थी जो सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद में सहायक निदेशक हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टिप्पणियों की जांच की गई है और विस्तार से विचार किया गया है।

40. वर्तमान मामले में, हमें नहीं लगता कि प्रक्रिया निर्धारित की गई है

विनियम 41 1 7 द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि न्यासियों ने स्वयं कहा है कि परिसमापन की प्रक्रिया, जिसमें प्रतिभूतियों का परिसमापन और यूनिटधारकों को वितरण/भुगतान शामिल होगा, किसी तीसरे पक्ष द्वारा की जानी चाहिए। विरोध करने वालों ने भी इसी तरह की दलीलें दी थीं। तदनुसार, पक्षों की सहमति से, हमने मेसर्स को नियुक्त किया है। एस. बी. आई. फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने की कवायद शुरू करनी है, जिसमें होल्डिंग्स/परिसंपत्तियों/पोर्टफोलियो का परिसमापन और यूनिटधारकों को वितरण/भुगतान शामिल होगा।

41. न्यासियों द्वारा दायर समेकित शपथ पत्र के अनुसार और

एएमसी, Rs.17,000 करोड़ से अधिक की प्रतिभूतियों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। यह एक बड़ी राशि है। न्यासी और एस. ई. बी. आई. ने अलग-अलग समय सीमा दी है जिसके भीतर उन्हें लगता है कि प्रतिभूतियों का परिसमापन किया जा सकता है। तथापि, न्यासी और एस. ई. बी. आई. दोनों,

17 1 7 विनियम 41: समापन की प्रक्रिया और तरीका

(1) न्यासी साधारण रूप से अनुमोदन करने के लिए यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा। बैठक के प्रस्ताव में उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश यूनिटधारक

न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करना

योजना।

बशर्ते कि यूनिटधारकों की बैठक आवश्यक नहीं होगी यदि -

योजना की परिपक्वता अवधि के अंत में योजना को समाप्त कर दिया जाता है।

(2) (क) न्यासी या उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित योजना की परिसंपत्तियों का निपटान उसके यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में करेगा।

योजना।

(ख) खंड (क) के तहत प्राप्त बिक्री की आय का उपयोग पहले इसके लिए किया जाएगा।

ऐसी देनदारियों का निर्वहन जो योजना के तहत देय और देय हैं और उसके बाद

ले जाया गया। (3) समापन पूरा होने पर न्यासी बोर्ड को भेजेगा।

और यूनिटधारकों को समापन पर एक रिपोर्ट जिसमें विवरण जैसे कि

परिसमापन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ, परिसमापन से पहले निधि की परिसंपत्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, परिसमापन के लिए निधि का खर्च, इकाई धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्तियाँ और निधि के लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र। (4) इस विनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, के प्रावधान अर्धवार्षिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों के प्रकटीकरण के संबंध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि समापन पूरा नहीं हो जाता या योजना बंद नहीं हो जाती।

अस्तित्व में होना।

एकजुट होकर कहा है कि परिसमापन/प्राप्ति को आगे बढ़ाना होगा

सावधानी के साथ, जल्दबाजी में प्रतिभूतियों को बेचने के प्रयास के परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है जो हानिकारक होगा और प्राप्त करने योग्य मूल्य में कमी का कारण बन सकता है। हम इस बहस में प्रवेश नहीं करना चाहेंगे या कोई विशिष्ट निर्देश नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एम/एस। एस. बी. आई. फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड सर्वोत्तम प्रयास सिद्धांत का पालन करेगा ताकि शीघ्र और समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

यूनिटधारकों को भुगतान करना और यूनिटधारकों को परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों का सर्वोत्तम संभव परिसमापन मूल्य सुनिश्चित करना। हालांकि, हमें यह निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सभी प्रतिभूतियों/परिसंपत्तियों के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना यूनिटधारकों को धन का वितरण/वितरण किश्तों में किया जा सकता है।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि इस उद्देश्य के लिए

विनियमन 18 (15) के खंड (ग) के अनुसार, यूनिटधारकों की सहमति का अर्थ होगा मतदान में भाग लेने वाले अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति, न कि योजना के सभी यूनिटधारकों के बहुमत की सहमति। ऊपर बताए गए निष्कर्षों और कारणों को देखते हुए, हम चुनाव परिणामों पर आपत्तियों को खारिज करते हैं और मानते हैं कि छह योजनाओं के यूनिटधारकों ने छह योजनाओं को लागू करने के लिए बहुमत से अपनी सहमति दी है। समापन और संवितरण 2 फरवरी, 2021 और 9 फरवरी, 2021 के पहले के आदेशों और उपरोक्त अनुच्छेद 41 में हमारे निर्देशों के संदर्भ में होगा। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश अन्य पहलुओं की जांच और निर्णय नहीं करता है

और इस प्रश्न सहित कि क्या विनियमन 18 (15) (सी) तब लागू होगा जब न्यासी की राय होगी कि योजना होनी चाहिए

विनियमन 39 (2) (ए) और कदाचार, कदाचार, धोखाधड़ी के बारे में आपत्ति करने वाले यूनिटधारकों के तर्क के अनुसार समाप्त किया गया

और उसका प्रभाव।

नि

र्देश जारी किए गए।

दिव्या पांडे